

**SPECIAL PACKAGE OF INDUSTRIAL INCENTIVES FOR THE STATES OF
HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.**

**GENERAL OPERATIONAL GUIDELINES FOR REGISTRATION OF INDUSTRIAL
UNITS AND PROCEDURE FOR HANDLING SUBSIDY CLAIMS UNDER
CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY (CCIS) SCHEME, 2013 FOR
HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.**

- (i) Industrial unit which wishes to claim subsidy under this Scheme should get registered (EM /IEM Part-I/Registration under the scheme – Form 1A & 1B) with the District Industries Centre (DIC) concerned, prior to the date of commencement of its commercial production for new units or undertaking substantial expansion for existing unit.
- (ii) ‘Substantial expansion’ means increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit by not less than twenty five percent for the purpose of expansion of capacity.
- (iii) It may be ensured that no industrial unit should be registered for benefits under Special Package of Industrial Incentives Scheme if it is covered under Negative List of Industries provided in the Notification of the respective Schemes.
- (iv) The claims for subsidy under the special package of incentives Scheme of Himachal Pradesh and Uttarakhand have to be submitted to the concerned DIC in the prescribed Application Forms {Form-1C along with documents as per check-list Form-1C(i)} within one year from the date of commencement of commercial production / operation.

This will include appraisal report of Bank/Financial Institution (in case of bank financed units) or appraisal report of the HPSIDC/SIDCUL or the agency nominated by the concerned State Government (in case of self-financed units).

A ‘Deviation Statement’ in Form 1C(A)(i) or IC(A)(ii) respectively shall also have to be submitted along with the claim application.

- (v) Date of commencement of commercial production / operation would be determined from the date of filing EM or IEM Part-II as applicable.
- (vi) The DIC must ensure that the claim Application Form for subsidy is complete in all respect and accompanied by all the requisite documents as per the ‘Check List’ appended herewith as Form-1C(i). Incomplete applications, without the requisite documents should not be considered under any circumstances.

- (vii)** The Subsidy under scheme should not be considered if the claim is sub-judice.
- (viii)** All transaction in respect of the cost of plant and machinery/project, as the case may be, must be through "A/c payee cheque" or "demand draft" or any other mode of bank transaction. payment in cash would not be considered eligible for computation of subsidy.
- (ix)** The DIC should invariably obtain a certificate to the effect that no cash payment has been included while recommending the subsidy amount of each eligible unit.
- (x)** All expenses must be certified by the registered Chartered Accountant.
- (xi)** The cost of land shall not be taken into account for the purpose of determining the eligibility and quantum of subsidy under the scheme.
- (xii)** Subsidy under schemes shall not be provided on imported second hand capital goods. *It would be certified by the Applicant that no claim has been made in respect of such goods.*
- (xiii)** The DIC must date-stamp each claim under signature of official concerned on each page of all the documents required as per the respective Check List appended therewith.
- (xiv)** The authorized official of the DIC must visit the location of each and every unit and physically verify the existence and operation of the industrial unit/substantial expansion undertaken by the unit and submit a report in the prescribed Form-1C(E) and comments on the deviation report submitted by the unit.
- (xv)** The Director of Industries would designate an officer by post to certify the completeness of the documents forwarded by the DIC.
- (xvi)** The Directorate of Industries (DI) should ensure that all claims are placed before the State Level Committee (SLC) within 150 (One Hundred Fifty) days from the date of receipt of the claims. In exceptional circumstances, if there is delay, then the reason for the same must be provided in writing by the concerned authorities of DI.
- (xvii)** In case of Bank financed units, the bank shall certify the value of plant and machinery for the project. In case of self-financed units, both for service and manufacturing sector, the project would be appraised by HPSIDC / SIDCUL or by any other agency nominated by the concerned State Government after registration by the unit. HPSIDC / SIDCUL / agency nominated by the concerned State Government would also certify the value of plant and machinery eligible for subsidy.
- (xviii)** Meeting of SLC must be held at least once in a quarter to avoid accumulation of cases pertaining to claims under the schemes.

- (xix)** A priority list should be maintained in respect of claims of units run by women entrepreneurs. Claim of such unit should be processed on fast track and their progress should be monitored by Directorate of Industries on a monthly basis.
- (xx)** The notice of the SLC meeting along with the detailed agenda note should be delivered to all concerned (including Gol nominee) at least fifteen working days before date of the meeting, failing which the meeting shall be adjourned. Representative of Financial Institutions must be invited in respect of units funded by them.
- (xxi)** In case the subsidy amount is more than 30 lakh, the State Government must organize field visit of the unit, by a team consisting of one representative each from (a) State Government concerned (b) Financial Institution which assisted the unit, and (c) HPSIDC / SIDCUL. Detailed Appraisal Report by the bank would be the basis of deciding project cost.
- (xxii)** The functions of the Field Visit Team shall be broadly as follows:-
- To verify the physical availability of the Plant & Machinery in respect of which claim has been made by the industrial unit.
 - To ascertain whether the components/items of these Plant & Machinery in respect of which subsidy claimed by the industrial unit is as per the provisions of the scheme & subsequent clarifications issued from time to time.
 - To invariably consider the Appraisal Report of the Financial Institution(s) which assisted the project of the Industrial Unit along with other relevant documents while assessing the quantum of the value of plant & machinery.
 - To comment on the 'Deviation Report' submitted by the unit.
 - To submit field visit report within 10 working days from the date of field visit.
- (xxiii)** The field visit will take place before the SLC meeting. The report of the field visit team shall be a part of agenda of the SLC meeting.
- (xxiv)** While recommending/approving a claim under the scheme, the SLC shall consider the following:-
- Physical Verification Report of the DIC
 - Assessment Report of Field Visit Team (must for claims above Rs.30 lakh).
 - The documents pertaining to the proof of existence of the industrial unit
 - Production figures of the unit
 - Detailed Project Report (DPR)/Techno-Economic Feasibility Report (TEFR) of the industrial unit
 - Whether payment for procuring/acquiring these Plant & Machinery has been made through A/c Payee Cheque/Drafts/NEFT/RTGS.

- Appraisal Report of the Financial Institution(s) which had assisted the project of the Industrial unit.
- 'Deviation Report' submitted by the unit with their claim application.
- Clarifications on the eligible components of P&M provided by DIPP from time to time.
- In addition to the above, SLC can also stipulate the requirement of any other documents/reports which in its opinion are essential for ascertaining the genuineness of the claims made by the industrial units.

- (xxv)** Detailed deliberations and justifications for recommending/approving/rejecting a particular claim shall be duly recorded in the minutes of the relevant SLC meeting. Any deviation from the items of P & M considered in the Appraisal Report of the Financing Institution(s)/HPSIDC/SIDCUL and in the Assessment Report of the technical team should be suitably explained / justified by the SLC.
- (xxvi)** The SLC in its recommendation should certify that the claim is in accordance / compliance to the scheme guidelines which includes eligible component of plant and machinery.
- (xxvii)** At least 10% of the claims shall be subject to post audit by HPSIDC / SIDCUL within one month from the date of issue of sanction letter by the Directorate of Industries.
- (xxviii)** The unit shall be required to furnish Annual Progress Report (APR) as per the prescribed format to the Directorate of Industries for five years after commencement of commercial production / operation.
- (xxix)** The quantum of subsidy payable to an industrial unit should be worked out/calculated on the eligible components as laid down in the schemes and subsequent instruction/clarification issued by DIPP from time to time. In case of any doubt in this regard, the matter may be referred to DIPP for clarification. The decision of DIPP will be final in this regard.
- (xxx)** For disbursement of subsidy sanctioned by the Government of India to various eligible units, e-payment / RTGS / NEFT may be used by the issuing of payment advices to the bank for direct credit by electronic transfer to the specified bank account of the eligible unit by the HPSIDC/SIDCUL.
- (xxxi)** List of cases of claims passed / rejected / under objection DIC / SLC should be uploaded on the web site along with the reasons of rejection / objection /remarks etc.
- (xxxii)** The State Government will furnish a quarterly report to the Department of Industrial Policy & Promotion regarding units set up, investment made and employment generated.

- (xxxiii)** The State Government will undertake IEC activities for entrepreneur awareness and promotion of the Scheme.
- (xxxiv)** The State Government will also undertake six monthly reviews to monitor the implementation of the Scheme and to undertake suitable remedial measures.
- (xxxv)** In addition, the provisions under the respective Office Memorandum / Notifications issued from time to time by the Central Government shall be followed.

Prescribed Forms/Formats/Proforma for Claims under Central Capital Investment Subsidy Scheme.

Sl. No.	Purpose	Form Number
1	Application form for registration of NEW UNITS under Special Package of Industrial Incentive Scheme.	1A
2.	Registration Certificate (for NEW UNITS).	1A.1
3	Check list (Certified /Attested photocopies of the documents required to be submitted by NEW UNITS along with the application form for registration.	1A(i)
4	Application form for registration of EXISTING unit.	1B
5	Registration Certificate (for EXISTING UNIT).	1B.1
6	Check list (Certified /Attested photocopies of the documents required to be submitted by EXISTING UNIT along with the application form for registration.	1B(i)
7	Claim Application form for Central Capital Investment Subsidy	1C
8	Statement of Investment on Plant & machinery.	1C(A)
9	Check list (Certified / attested photocopies of the documents to be submitted along with the application form for claiming Capital Investment subsidy.	1C(i)
10	Performa to be filled and forwarded to DIPP along with the Minutes of the SLC meeting held for considering subsidy claims under CCISS, 2013 (for bank-financed units)	1C(A)(i)
11.	Performa to be filled and forwarded to DIPP along with the Minutes of the SLC meeting held for considering subsidy claims under CCISS, 2013 (for self-financed units)	1C(A)(ii)
12.	Detail list of items/components of Plant & Machinery considered eligible for subsidy under CCISS, 2013 by SLC	1C(A)(iii)
13	Certificate from Registered Chartered Accountant (for NEW UNIT)	1C.(B)(i)
14	Certificate from Registered Chartered Accountant (for EXISTING UNIT)	1C.(B)(ii)
15	Affidavit	1C(C)
16	Certificate from Financial Institution/Bank.	1C(D)
14	Enquiry Report of DIC for Central Capital Investment Subsidy.	1C(E)
15	Certificate from Chartered Accountant regarding sources of Finance.	1C(F)
16	Certificate from Registered Architect on Civil Construction for service sector (for NEW UNITS).	1C(G)(i)
17	Certificate from Registered Architect on Civil Construction for service sector (for EXISTING UNIT)	1C(G)(ii)
19	Proforma of Agenda note for SLC for CCIS.	Monitoring Form: 1

20.	Proforma to be submitted to HPSIDC and SIDCUL by SLC for Disbursement of subsidy.	Monitoring Form: 2
21.	Proforma for Agreement.	Monitoring Form: 3
22.	Annual Progress Report (APR) to be submitted by the unit.	Monitoring Form: 4
23.	Time-line for implementation of the Package.	Monitoring Form: 5

FORM: 1A
**APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER SPECIAL PACKAGE OF
INDUSTRIAL INCENTIVES FOR THE STATE OF HIMACHAL PRADESH AND
UTTARAKHAND.**

(For new unit)
(to be submitted in quadruplicate)

1. a Name of the industrial unit & location
(i) Village/Police Station
(ii) District

- b Complete address with telephone No. :
(i) Factory with telephone no :
(ii) Registered office with telephone no :

2. a Constitution of the unit (please specify
whether Proprietorial / partnership / Private
Limited / Limited company / Cooperative
Society)

- b Name/s, address(es) of the Proprietor/
partners / Directors of Board of Directors /
Secretary and President of the Cooperative
Society (Please attach separate sheet, if
necessary)
:

3. Proposed date of commencement of
commercial production of unit:

4. Whether the industrial unit falls under
Manufacturing sector OR Service sector :

5. Details of Registration with the concerned
Department
:
- A. If manufacturing sector, please indicate:**
 - i. Acknowledgement No./date of
Entrepreneur Memorandum (EM) – part-I
(if any) of MSME
:
 - ii. Acknowledgement No./date of Industrial
Entrepreneur Memorandum (IEM) (if any)
of DIPP.
 - iii. Copy of letter to Central Excise Authority, duly acknowledge.
:
- B If Service sector, please indicate requisite
Registration/License No. from the
concerned Department. (if any) :**

6. Particulars/Details of Fixed Capital Investment proposed (Amount in Rs) :
- a. Land :
 - b. Site Development :
 - c. Building :
 - i. Factory building :
 - ii. Office building :
 - d. Plant and Machinery/component/ items :
 - e. Electrical Installation :
 - f. Preliminary & pre-operative expenses :
 - g. Miscellaneous fixed assets :
 - Total :
7. Proposed requirement of Power/Electricity (KW/MW) :
8. Annual Production Capacity proposed: Quantity Value in Rupees
- Name of the Product(s)/Service rendered :
- (i) :
 - (ii) ..etc.
9. Raw materials
Name(s) of the Raw Materials used
- (i) :
 - (ii) :
10. Proposed Employment Generation in the unit in various fields of work :
- a. Managerial :
 - b. Supervisory Staff :
 - c. Skilled Worker :
 - d. Semi Skilled worker :

e. Un Skilled worker :

f. Others :

11. Declaration

I / We..... solemnly declare that the information furnished in this application is correct and true to the best of my/our knowledge and belief.

Place : Signature _____
Full name of the applicant/ authorized
signatory

Date : Seal

ENQUIRY REPORT

Certified that I have personally visited the unit of M/s
..... on
..... and examined the documents in original pertaining to this
application for
registration and found them in order.

Further it is certified that the item of production does not fall in the negative list as defined in **Annexure IV** of the Gazette notification of Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013.

Recommended for grant of registration under CCISS, 2013.

Date: _____ Signature of the Enquiry
Officer _____
Place: _____
Designation / _____

FOR OFFICIAL USE IN DISTRICT INDUSTRIES CENTRE (DIC) ONLY

The application of M/s along
with
enclosures have been scrutinized and found in order. The item of production does not fall in the negative list as defined in **Annexure IV** of the Gazette notification of Central Capital Investment Subsidy Scheme ,2013 for Himachal Pradesh and Uttarakhand.

Recommended for grant of registration under Central Capital Investment Subsidy Scheme. 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand.

Date: _____ Signature of the Officer concerned
Place: _____ Designation / Office seal

Form 1A(i)

CHECKLIST: REGISTRATION (NEW UNIT)

Certified /Attested photocopies of the documents required to be submitted by NEW UNITS along with the application form for registration under CCIS Scheme, 2013.

1. Constitution/Type of the unit
 - (a).** In case of **Private Limited / Public Limited company:**
 - i. Registration Certificate under Companies Act
 - ii. Memorandum of Article of Association
 - iii. Names and address of the Directors with their PAN no
 - (b).** In case of **Partnership Firm:**
 - i. Deed of partnership
 - ii. Name and address of the Partners with their PAN no
 - iii. General Power of Attorney
 - (c).** In case of **Co-operative Society**
 - i. Registration Certificate
 - ii. Article of memorandum of Association
 - iii. Resolution of the General Body Meeting for registration of the unit
2. Registration No.
 - i. EM Part-I,
 - ii. Part-II /IEM/LOI/IL (if any)
3. Mandatory 'No objection certificate' from local body/any other authority. (e.g Pollution Control Board etc.)
4. Sanction letter of term loan/working capital loan, if any, from Bank/Financial Institution concerned
5. Certificate of Mandatory/Obligatory registration/approval from the concerned Department as applicable (in the case of Service sector units)
6. Any other document that may be required as per direction of State Government/
Directorate of Industries.

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH / UTTARAKHAND
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER : DISTRICT INDUSTRIES CENTRE.....
CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER SPECIAL PACKAGE OF
INDUSTRIAL INCENTIVES FOR THE STATE OF HIMACHAL PRADESH /
UTTARAKHAND**

M/s is hereby registered under Central Capital investment Subsidy Scheme, 2013 and the registration number allotted to it under this Scheme is
DIC/...../ /20...../ Dated

Place:
General Manager
Date:
Centre

Signature of the
District Industries

NOTE: The DIC concerned will forward a copy of this application for registration (**without enclosures**) along with the registration (**Form:1A and Form:1A.1**) certificate to:

- (1) Directorate of Industry concerned.
- (2) HPSIDC / SIDCUL.

FORM:1B
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER SPECIAL PACKAGE
SCHEME, 2013 FOR HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.
(For existing unit undertaking substantial expansion)
(To be submitted in quadruplicate)

1	a	Name of the industrial unit & location (i)Village/Police Station (ii)District	: :	
	b	Complete address with telephone no. (i)Factory (ii)Registered Office	: :	
2	a	Constitution of the unit (please specify whether Proprietorial / partnership / Private Limited / Limited company / Cooperative Society)	:	
	b	Name(s), address(es) of the Proprietor/ partners / Directors of Board of Directors / Secretary and President of the Cooperative Society (Please attach separate Sheet, if necessary)	:	
3.		Proposed date of commencement of commercial production of unit after expansion	:	
4.		Whether the industrial unit falls under Manufacturing sector OR Service sector	:	
5		Details of Registration with the concerned Department.		
	A	If manufacturing sector , please indicate	:	
	i	PMT registration no with date /Acknowledgement No./date of Entrepreneur Memorandum (EM) – part-I /Part-II (if any) of MSME	:	

	ii	Acknowledgement No./date of Entrepreneur Memorandum (IEM) (if any) of DIPP.	:	
	B	If Service sector , please indicate requisite Registration/License No. from the concerned Department.(if any)	:	

6 Fixed Capital Investment: (Amount in Rs)					
Particulars		Exiting Investment	Additional investment proposed for expansion	Total	
a	Land :				
b	Site Development :				
c	Building				
	i. Factory building :				
	ii. Office building :				
d	Plant and Machinery/ component items:				
e	Electrical Installation :				
f	Preliminary & preoperative expanses:				
g	Miscellaneous fixed assets:				
	Total :				

7.		Details of land and building :	
	A	Land :	
	a	Own land :	

	i.	Land area, Revenue village, Dag No. & Patta No.:	
	ii.	Date of Purchase :	
	iii.	Date of registration :	
	b	Land allotted by Government/ Government agency :	
	i.	Date of allotment/agreement with area of land :	
	ii.	Date of taking over possession :	
	c	Lease hold land :	
	I	Date of registration of lease deed :	
	ii.	Period of lease :	
	B	Building	
	a	Own building/rented building :	
	b	In case of own building	
	i.	Build up area prior to expansion :	
	ii.	Proposed built up area after expansion	
8.	Details of electricity utilization		
	i.	Sanctioned load prior to expansion :	
	ii.	Connected load prior to expansion :	
	iii.	Whether requirement of additional load is essential for expansion. If so, the quantum of additional load required/applied for.	
9	Production Capacity		
	Name of the	Annual installed	Proposed annual installed

	Product(s)/Service rendered	capacity prior to expansion		capacity after expansion	
		Quantity	Value in Rupees	Quantity	Value in Rupee
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				
10	Production Capacity				
	Name of the Product(s)/Service rendered	Annual installed capacity prior to expansion		Proposed annual installed capacity after expansion	
		Quantity	Value in Rupees	Quantity	Value in Rupee
	(i)				
	(ii)				
11.		Employment Generation in the unit in various fields of work	Prior to expansion	Proposed additional employment for expansion	Total
	a	Managerial			
	b	Supervisory Staff			
	C	Skilled Worker			
	d	Semi Skilled Worker			
	e	Un-Skilled Worker			
	F	Others			

12. Declaration

I / We solemnly declare that the information furnished in this application for registration under the _____ are correct and true to the best of my/our knowledge and belief.

Signature_____

Place : Full name of the applicant/ authorised signatory

Date : Seal:

ENQUIRY REPORT

Certified that I have personally visited the unit of M/s on and examined the documents in original pertaining to this application for registration for 'substantial expansion' and found them in order.

Further, it is certified that the item of production does not fall in the negative list as defined in the notification of the scheme.

Recommended for grant of registration for substantial expansion under Central Capital investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand.

Date:
Place:

Signature of the Enquiry Officer
Designation:

FOR OFFICIAL USE IN DISTRICT INDUSTRIES CENTRE (DIC) ONLY

The application of M/s along with its enclosures has been scrutinized and found in order. The item of production does not fall in the negative list as defined in para 8 (Annexure-III) of the DIPP Notification No .2(1)/2013-SPS dated _____.

Recommended for grant of registration under Central Capital Investment Subsidy Scheme 2013, for the state of Himachal Pradesh / Uttarakhand.

Date:
Place:

Signature of the Officer concerned
Designation / Office seal

Form : 1B.1

GOVERNMENT OF

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER : DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

.....

**CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER SPECIAL PACKAGE SCHEME, 2013
FOR HIMACHAL PRADESH / UTTARAKHAND.**

(For existing unit undertaking substantial expansion)

M/s is hereby registered under Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand and the registration No. allotted to it under this Scheme is DIC/...../SPS/20...../.... Dated

Place

Signature of the General Manager

Date:

District Industries Centre....

NOTE: The DIC concerned will forward a copy of this application for registration (**without enclosures**) along with the registration (**Form:1B and Form:1B.1**) certificate to:

1. Directorate of Industries.
2. HPSIDC / SIDCUL

FORM: 1B(i)

CHECKLIST : REGISTRATION (EXISTING UNIT)

CERTIFIED / ATTESTED PHOTOCOPIES OF THE DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER CENTRAL PACKAGE OF INDUSTRIAL INCENTIVE SCHEME, 2013 FOR HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND BY EXISTING UNITS UNDERTAKING SUBSTANTIAL EXPANSION.

1. Constitution of the unit
 - a. In case of Private Limited /Public Limited company
 - (i) Registration Certificate under Companies Act
 - (ii) Memorandum of Article of Association
 - (iii) Names & address of the Directors with their PAN no.
 - b. In case of partnership Firm
 - (i) Deed of Partnership
 - (ii) General Power of Attorney
 - (ii) Names & address of the Partners with their PAN no.
 - c. In case of Co-operative Society
 - (i) Registration Certificate from the Jt. Register of Co-operative Society
 - (ii) Resolution of the General Body for registration of the unit
 - (iii) Article of memorandum of Association
2. Registration
 - (i) Permanent (PMT) registration/Entrepreneurs Memorandum (EM) Part II/IEM /LOI/IL (wherever applicable)
 - (ii) Certificate of Mandatory/Obligatory registration/approval from the concerned department as applicable. (in case of service sector unit)
3. Project Report
4. Mandatory No objection certificate from local body/authority (e.g Pollution Control Board etc.)
5. Term loan sanction letter from Bank/Financial Institution
6. Land & Building (existing)
 - a. In case of own land
Purchase deed / gift deed/ any other document to establish the ownership.
 - b. In case of Industrial land allotted by any Government Agency
 - (i) Deed of agreement
 - (ii) Up- to-date rent receipt
 - c. In case of Industrial land allotted by any Government Agency
 - (i) Deed of agreement
 - (ii) Up-to-date rent receipt
 - d. In case of leasehold land from a private owner
 - (i) Registered Lease deed
 - e. In case of Government land/plot allotted by Government
 - i Allotment letter and trace map

- ii Premium payment receipt
- 7. Power sanction letter from State Electricity Board/ Competent authority
- 8. NOC / Consent for operation from Pollution Control Board .
- 9. List of employees with name, address and designation
- 10 Audited Balance sheet for the last three accounting years
- 11 Any other documents that may be required as per directions of State Government / Directorate of Industries & Commerce

FORM:1C

APPLICATION FORM FOR CLAIMING OF CENTRAL CAPITAL INVESTMENT
SUBSIDY SCHEME, 2013 FOR HIMACHAL PRADESH / UTTARAKHAND.

PART-I: COMMON FOR BOTH MANUFACTURING AS WELL AS SERVICE
SECTORS

1. a. **Name of the Industrial Unit** :
- b. Factory address with telephone no (if any) :
- c. Office address with telephone / mobile no (if any) :
- d. Registered office :
2. a. **Constitution of the unit** (Proprietorial / :
partnership / Private Limited / Limited
company / Cooperative Society)
- b. Name(s) , address(es) of the Proprietor/ :
Partners / Directors/ Secretary and
President of the Cooperative Society.
3. **Whether new unit or existing unit** :
undergoing expansion
- a. **In case of New unit** :
- i. Date of commencement of commercial :
production/operation
- b. **In case of Existing unit under going** :
expansion
- i. Date of commencement of commercial :
production/operation after expansion.
4. **Details of registration** :
- a. **In case of New unit**
- i. EM – part-II , No & date :
- ii. IEM No & date :
- b. **In case of existing unit undergoing expansion**
- i. Permanent (PMT) Registration/ IEM/
EM-part-II No. & date :
- c. Mandatory/Obligatory Certificate of :
registration/approval from the concerned
department as applicable (in case of Service
Sector units)
5. **Registration No. under CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY**
SCHEME, 2013 FOR HIMACHAL PRADESH / UTTARAKHAND.
(Form:1A/1B)

6. Fixed Capital Investment

:

(in Rs.)

Particulars	For New unit	For Existing unit undergoing expansion		
		Prior Expansion	During expansion	Total After Expansion
a. Land				
b. Site Development				
c. Building				
i. Office building				
ii. Factory building				
d. Plant and Machinery/ component/ item				
e. Electrical installation				
f. Preliminary & preoperative expenses				
g. Miscellaneous fixed assets				
Total				

7	A	Source of Finance	:	
	i.	Promoters contribution	:	
	ii.	Equity	:	
	iii.	Term Loan	:	
	iv.	Un secured loan	:	
	v.	Internal resources	:	
	Vi	Any other source (please specify)	:	
		Total		

7	b	Details of Term /Working capital Loan (if any):		
		Name of Bank/Financial Institution	Amount of term/working capital loan sanctioned	Sanction letter No. & date
				Amount of Term /Working capital Loan disbursed

7	c	Details of Equity (if any):		
		Name	Amount	PAN No.
				Mode of payment

7	d	Details of Unsecured Loan (if any)		
Name	Amount	PAN No.	Mode of payment	

[Details as per form:1C(F)]

8. **Power:** :
- A. In case of New units** :
- (i) Sanctioned load :
- (ii) Connected Load :
- (iii) Capacity of Captive Power Plant (if any) :
- B. In case of existing units undergoing expansion** :
- (i) Sanctioned load prior to expansion :
- (ii) Connected Load prior to expansion :
- (iii) Sanction of additional load for expansion :
- (iv) Additional connected load for expansion :
- (v) Capacity of captive power plant (if any) :
9. **Details of land and Building** :
- A Land :
- (a) Own land** :
- (i) Land area, Revenue Village, Dag No. & Patta No. :
- (ii) Date of purchase :
- (iii) Date of registration :
- (b) Land allotted by Government/ Government agency** :
- (i) Date of allotment/agreement :
- (ii) Date of taking over possession :
- (c) Lease hold land** :
- (i) Date of lease of land :
- (ii) Period of lease :
- B Building** :
- (a) Own building/rented building :
- In case of own building, built up area :
10. **Statement of Investment in Plant & Machinery as per Form:1C(A)** :
- PART-II : FOR MANUFACTURING SECTOR ONLY**
- (Please score out this part, if not applicable)
11. **Details of production of the unit** :
- a. **For New unit** :

Sl.	Name (s) of the Product(s)	Annual Installed Capacity	Actual production during last year/ from	Remarks

				the date of commercial production till date (if any)	
		Quantity	Value (in Rs)	Quantity	Value (in Rs)

b. For existing units undergoing expansion

Sl.	Name (s) of the Product(s)	Annual capacity prior to expansion	Installed prior to expansion	Actual production during last year/ from the date of commercial production till date (if any)	Remarks
		Quantity	Value (in Rs)	Quantity	Value (in Rs)

12. Raw Materials :

a. For New unit

Sl No	Name/s of the raw materials	Annual requirement	
		Quantity	Value(in Rs)

b. For existing units undergoing expansion

Sl No	Name/s of the raw materials	Annual requirement prior to expansion		Annual requirement after expansion	
		Quantity	Value(in Rs)	Quantity	Value(in Rs)

13. Sale of finished product(s) :

a. For New unit

Sl No	Name/s of the Product(s)	Product(s) sold during last year/ from the date of commercial production		Remarks
		Quantity	Value(in Rs)	

b. For existing units undergoing expansion

Sl No	Name/s of the Product(s)	Product(s) sold during last year/during the year prior to expansion		Product(s) sold/service rendered during the year after expansion.	
		Quantity	Value(in Rs)	Quantity	Value(in Rs)

14. Employment generation :

Sl. No	Category	For new unit	For expansion unit		
			Before expansion	After expansion	Total
1	2	3	4	5	6
i.	Managerial				
ii.	Supervisory				
iii.	Skilled				
iv.	Semi-skilled				
v.	Unskilled				
vi.	Others				
	Total				

**PART-III : FOR SERVICE SECTORS ONLY
(Please score out this part, if not applicable)**

15.	Particulars		New unit		Existing unit
A	Hotel Not below two Star Category				
(i)	Location of the Hotel				
(ii)	Category of Hotel (Please attach certificate)				
(iii)	Area in square meters				
(iv)	Total cost of the building (in Rs)				
(v)	Total cost of essential items (list to be attached) (in Rs)				
(vi)	No. of rooms and area of each type of rooms in square feet				
(vii)	Facilities/ amenities provided (please attach separate sheets, if required)				
(viii)	Whether the norms/criteria laid down by the concerned department/agency have been fulfilled.				
B.	Adventure and Leisure sports including ropeways				
(i)	Location of ropeways installation				
(ii)	Total distance from the first point to the last point (applicable to ropeways only)				
(iii)	Whether the equipments used/proposed to be used are of international standard.				
(iv)	Name & Address of the consultant engaged/proposed to be engaged in installation of Rope ways				
(v)	Whether the consultant has adequate experience of installation of ropeways. If so, give at least two locations where they have done so.				
(vi)	Total cost of civil works (in Rs)				
(vii)	Total cost of essential items installed/ to be installed (please attach separate sheet) (in Rs)				
16.	Employment position in the unit				
Sl no	Category	For new unit	For expansion unit		
			Before expansion	After expansion	Total

1	2	3	4	5	6
(i)	Managerial				
(ii)	Supervisory				
(iii)	Skilled				
(iv)	Semi-skilled				
(v)	Unskilled				
(vi)	Others				
	Total				

PART-IV

17. Bank Account No. and name of the Bank where the subsidy amount is to be deposited

18. I / Wedeclare and affirm that the particular/statement furnished above , are true to my/our knowledge and belief and if any statement made herewith in connection with this claim is detected as false or misrepresentation, the amount of subsidy granted by the Government will be refunded by me/us to the Government.

Place:
relation to the

Signature of the applicant/s/ Status in
unit.

Date:

Seal:

Form No:1C(A)

**STATEMENT OF INVESTMENT ON PLANT & MACHINERY
(As required in Col - 10 of the claim application form)**

1		Name of the Plant & Machinery covered by each consignment etc.
2		Name & Address of the Firm from whom purchase or with whom firm order placed.
3	A	Particulars of placing and acceptance of firm order no & date of advance paid and received
	B	Date of despatch of machinery
	i.	Station from
	ii.	Station to
	iii.	Mode of Transportation
	iv.	Particulars of despatch documents
4		Date of arrival of machinery at factory site
5	A	Suppliers bill no and date
	B	Full cost of machinery as per bills , including taxes etc and including advances (if any paid)
	C	Particulars of payment to the machinery supplier
	(i)	Date of payment
	(ii)	Mode of payment (cheque/bank draft no. & date)
	(iii)	Receipt No. & date
6	A	Name and full address of the Carrier through whom the machinery were despatched by the supplier
	B	Freight for carrying the machinery
	C	Receipt of freight from the carrier
	D	Demurrages charges paid (if any). Reasons for payment of demurrage charges to be mentioned.)
7	A	Name and address of the Insurance company with which the consignment was insured to cover risk in transit
	B	Amount Insured for
	C	Insurance premium paid (if any)
8		Total amount paid towards Cost of Machinery, Freight, Demurrage and Insurance
9		Sources of Finance (pl specify)
10		Date of erection of machinery at factory site.
11		Date of Commissioning of the Machinery
12		Any other particulars

Signature on behalf of the Unit

Certified that I have personally verified the particulars mentioned above with the original bills and vouchers and found them to be correct in all respect and the machinery mentioned in the Form: 1C(A) have already been erected/proposed to be erected for functioning in the factory of M/S

Date: Signature & Seal of the enquiry Officer

Counter signed by: General Manager, DIC

Form 1C(A)(i)

Proforma to be filled and forwarded to DIPP along with the Minutes of SLC meeting held for considering subsidy claims under CCISS, 2013 for Himachal Pradesh and Uttarakhand.

(for the units financed by Financial Institutions)			(Rs. In lakh)				
Sl. No	Name of the Unit	Name of the Financing Agency(ies)	Appraised Cost by Financing Agency(ies)		Eligible Cost of Plant & Machinery recommended by GM, DIC	Eligible Cost of Plant & Machinery considered by SLC	Amount of subsidy recommended by SLC
			Cost of Plant & Machinery	Total Project Cost			

Form IC(A)(ii)

Proforma to be filled and forwarded to DIPP along with the Minutes of SLC meeting held for considering subsidy claims under CCISS, 2013 for Himachal Pradesh and Uttarakhand.

		(Rs. In lakh)				
Sl.No	Name of the Unit	Appraised Cost by the HPSIDC / SIDCUL or by the agency nominated by the State Government concerned.		Eligible Cost of Plant & Machinery recommended by GM, DIC	Eligible Cost of Plant & Machinery considered by SLC	Amount of subsidy recommended by SLC
		Cost of Plant & Machinery	Total Project Cost			

Form IC(A)(iii)

(Annexure..... of Minutes of the SLC meeting held on.....)

Details list of items/components of Plant & Machinery considered eligible for subsidy under CCISS, 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand.

Name of the Unit –

Name Unit/Existing Unit under gone Expansion –

Sl. No	As Appraised by Financial Institution assisting the project/ Independent Agency (in case of self financed project)		As considered eligible for subsidy under CCIS, 2013 for Himachal Pradesh & Uttarakhand by the SLC		
	Items/Components of Plant & Machinery	Cost (Rs. In lakh)	Items/Components of Plant & Machinery	Cost (Rs. In lakh)	Reason for deviation (if any) from appraisal report of the Financial institution
TOTAL					

FORM: 1C(i)

CHECKLIST: CLAIM

Certified / attested photocopies of the documents to be submitted along with the application form for claiming Capital Investment subsidy under Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh and Uttarakhand.

1. Constitution of the unit
 - a. **In case of Private Limited / Public Limited company**
 - i. Registration Certificate under Companies Act
 - ii. Memorandum and Article of Association
 - iii. Name & Address of the Director with their PAN no
 - b. **In case of Partnership unit**
 - i. Deed of partnership
 - ii. General Power of Attorney
 - iii. Name & Address of the Partners with their PAN no
 - c. **In case of Co-operative Society**
 - i. Registration Certificate from the Jt. Register of Co-operative Society
 - ii. Article of Memorandum of Association
 - iii. Resolution of the general Body for registration of the unit.
2. **Registration**
 - a. In case of proposed/new unit
Entrepreneurs Memorandum Part I & Part II/IEM /LOI/IL (as applicable)
 - b. In case of existing unit undergoing expansion:
PMT regn./Entrepreneurs Memorandum Part II/IEM/LOI/IL (as applicable)
3. **Land & Building**
 - a. **In case of own land**
 - i. Purchase deed / gift deed/any other document to establish the ownership
 - ii. Upto date non-incumbent certificate
 - iii. Jamabandi copy and trace map
 - b. **In case of Industrial land allotted by any Government Agency**
 - i. Deed of agreement
 - ii. Up to date rent payment receipt
 - c. **In case of Industrial shed allotted by any Government Agency**
 - i. Deed of agreement
 - ii. Up to date rent payment receipt
 - d. **In case of leasehold land from a private owner**
Lease deed agreement
 - e. **In case of Government land/plot allotted by Government**
 - i. Allotment letter
 - ii. Premium payment receipt
4. Statement of Plant and Machinery as per **Form :1C(A)**
5. Certified copies of all bills, vouchers & money receipt of plant and machinery

6. Certificate of fixed capital investment from a Chartered Accountant as per **Form:1C(B)(i)/Form: 1C(B)(ii)**
 7. Certificate from Financial Institution/Bank, regarding disbursement ,vide **Form:1C(D)**
 8. Sanction letter from the financial Institution / Banks for term loan & working capital
 9. Certificate from a Chartered Accountant regarding Sources of Finance as per **Form:1C(F)**
 10. Certificate from Registered Architect on Civil Construction, **Form:1C(G)(i)/Form:1C(G)(ii)**
 11. Project Report
 12. Power sanction letter and first bill from State Electricity Board/ Competent Authority/Competent Department.
 13. No objection certificate from local body/authority
 14. NOC/Consent for operation from Pollution Control Board
 15. First bill(s)/money receipt of purchase of raw material
 16. Challan against first sale of finished product(s)/service rendered.
 17. Affidavit as per **Form:1C(C)**
 18. List of employees with name, address and designation
 19. Balance sheets for last three accounting years (in case of existing units undergoing expansion).
 20. Tea Board registration in case of a Tea Factory
 21. Registration certificate under Central Package of Industrial Incentives for Himachal Pradesh and Uttarakhand, 2013, issued by DIC
 22. PAN Card of the Directors/Proprietors/Partners
 23. Sales tax/VAT, Central excise clearance certificate
 24. Certificate of the unit having become functional/operational indicating date of commencement of function/operation from the concerned department as applicable (in case of service sector units)
 25. Report of HPSIDC/SIDCUL on the scrutiny of the details of the cost of project (in case of self-financed units).
 26. Any other document that may be required as per direction of State Government /Directorate of Industries /HPSIDC/SIDCUL
-

From No: 1C(B)(i)
CERTIFICATE FROM THE REGISTERED CHARTERED ACCOUNTANT
(For new Unit)

Name of the Chartered Accountant:

I / We hereby certify that M/S
(name of the unit with location) has made capital investment in their unit for the
period from to..... for manufacturing / rendering
service of by the unit.

Sl no	Item/s of fixed assets investment	Value of in Rupees
1.	Cost of land including purchase, value, registration etc	
2.	Cost of development of land including boundary wall, approach road, culvert / bridges , godown , labour quarter etc (pl. specify)	
3.	Cost of Building a. Factory building/Nursing Home/ Hotel etc b. Office building c. Architect fees/ fees towards preparation of estimate etc	
4.	Cost of plant & machinery	
5.	Accessories	
6.	Electrical installation	
7.	Loading, unloading, transportation, erection expenditure, insurance etc	
8.	Pre-operative preliminary expanses to be capitalized	
9.	Miscellaneous fixed assets/essential items etc.	
Total		

I/We have checked the books of accounts of the unit, the invoices etc, and
certify that the aforesaid information is verified and certified to be true. We also
certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is raised
there against in the books of the unit.

Date:
Accountant
Place:

Signature of the Chartered
Registration No & Seal

From No:1C(B)(ii)
CERTIFICATE FROM THE REGISTERED CHARTERED ACCOUNTANT
(For Existing unit undergoing Expansion)

Name of the Chartered Accountant:

I/We hereby certify that M/S (name of the unit with location) has made capital investment in their unit for expansion programme from to..... The unit is engaged in production of and has gone into commercial production after expansion on (date).

(Fig: Value in

Rupee)

Sl no	Item/s of fixed assets	Investment prior expansion	Additional investment made during the period from to	Total Capital Investment
1.	Cost of land including purchase value, registration etc			
2.	Cost of development of land including boundary wall, approach road, culvert / bridges, godown , labour quarter etc (pl. specify)			
3.	Cost of Building			
	a. Factory building/ nursing homes/ hotels etc			
	b. Office building			
	c. Architect fees/ fees towards preparation of estimate etc			
4.	Cost of plant & machinery			
5.	Accessories			
6.	Electrical installation			
7.	Loading, unloading, transportation, erection expenditure, insurance etc			
8.	Pre-operative preliminary expanses to be capitalised			
9.	Miscellaneous fixed assets/essential items			
Total				

We have checked the books of accounts of the unit, the invoices etc, and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true. We also

certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is raised there against in the books of the unit.

Date:
Accountant
Place:

Signature of the Chartered
Registration No & Seal

AFFIDAVIT

I Shri/ Smt.son/daughter/wife of Shri/Smt.Aged Year by profession do hereby solemnly declare and affirm as follows:-

- 1. That I am a citizen of India and permanent resident of Village P.OPolice Station In the district of
2. That I am proprietor / Managing partner / Managing Director / Director / President of M/S..... and owners of land/building/plant & machinery of the above unit, the industrial activity of which is
3. That the particulars furnished in the claim application for subsidy under the Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand are exactly the same as those submitted to the Income Tax authority in respect of the unit known as M/S situated at in the district of That no subsidy/ grant under Central / State Government/ Organization etc have been availed by me against the items mentioned in the claim application form.
4. That the particulars furnished in the application form and /or in connection with the application for subsidy are correct and true to be best of my knowledge and that in case of any particulars are found to be false or misrepresentation/suppression of essential facts ,I shall be liable to punished under laws of the land.
5. That I Shri / Smt. the deponent of the above, do hereby solemnly declare and affirm that, statement made above are true to the best of my knowledge and belief .

Identified by me:

Signature (Advocate)

Signature Deponent

Solemnly affirm before me by Shri/Smti being identified by Sri/Smti..... Advocate on this day

Magistrate Seal

Form No: 1C(D)

CERTIFICATE FROM FINANCIAL INSTITUTION / BANK

(The Certificate should signed by a responsible officer of Bank / Financial Institution]

Certified that M/S of have been disbursed as on this date the amount of Rs. sanctioned under letter No: dated As shown below:

- | | | |
|------|---|-----|
| 1. | Loan amount previously disbursed up to | Rs. |
| 2. | Total amount disbursed upto date against the items mentioned below: | |
| i. | Land | Rs |
| ii. | Building (excluding residential quarter) | Rs. |
| iii. | Plant and machinery | Rs. |
| iv. | Other assets: tools, jigs, dies and moulds and goods carrier | Rs. |
| v. | Other essential items | Rs. |

Total Rs.

Signature of the Official from Bank/Fl
Seal & Date

Form No:1C(E)

ENQUIRY REPORT FOR GRANT OF CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY UNDER Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand.

- 1 a Name & Designation of the enquiry officer :
- b Date of receipt of the application :
- c Date of physical verification of the unit :
- 2 a Name of the unit :
- b Factory address with telephone no (if any)
- c Office address with telephone / mobile no (if any) :
- d. Registered Head Office (if different from b above)
- 3 a Constitution of the unit (please specify whether :
Proprietorial / Partnership / Private Limited /
Limited company / Cooperative Society)
- b Name/s, address(es) of the Proprietor/ partners / :
Directors of Board of Directors / Secretary and
President of the Cooperative Society
- c Date & No of Registration under the Companies :
Act / as Partnership firm / as Cooperative Society
- d Registered Head Office of the company (if :
registered under the companies act irrespective of
Pvt or Ltd companies)
- 4 a Enterprise registration :
- i Acknowledgement of Entrepreneur Memorandum :
(EM) – part-I , No & date
- ii Acknowledgement of Entrepreneur Memorandum :
(EM) – part-III , No & date
- iii Acknowledgement of Industrial Entrepreneur :
Memorandum (IEM) No & date
- iv Permanent registration No in case of existing unit. :
- v Tea Board Registration (if applicable)
- vi Factory Registration
- vii Certificate of the unit having become
functional/operational from concerned Department
(in case of service sector units)
- 5 Registration No & date under CCISS, 2013 :
- 6 Whether the proposed unit is new or an existing :
unit under- going expansion
- a In case of new unit :
- i Proposed date of production/operation
- ii Date of going into commercial production :

- b In case of existing unit :
- i Date of going into commercial production prior to expansion :
- ii Date of going into commercial production after expansion. :
- 7 Details of land & building of the unit :
- A Land :
- i Specify whether the land is own / lease hold / allotted by Government agency :
- ii If own land :
- a. Specify the mode of owing such as by way of inheritance, gift or purchased etc. :
- b. Total area :
- c. Location :
- d. Dag No , patta no , Revenue village and Mauza :
- e. Date of purchase of the land with value and the date of taking possession of the land :
- iii If held under lease :
- a. name and address of owner of the land :
- b. Date of agreement and its area :
- c. period of lease agreement :
- iv If the land allotted by Government / Government agency :
- a. Name of the Agency :
- b. Date of agreement :
- c. Annual rent / premium paid :
- d. Total area allotted and its location. :
- B Details of building :
- I. Whether the factory building has been constructed, if so :
- a. Permission for construction from local authority :
- b. Date of starting and completion of the civil and electrical works :
- c. Total area under construction :
- d. Total estimated cost :
- II. If factory shed has been allotted by the Government agency :
- a. Name of the Agency :
- b. Total area of the factory shed and open space allotted :
- c. Annual rent fixed for the shed :
- d. Date of agreement and date of possession of the shed. :

- III. If rented premises :
- a. Name & address of the owner of the premise/s :
- b. Total area & location :
- c. Date of agreement :
- d. Period of rent agreement :
- e. Annual rent fixed for :
- 8 Fixed Capital Investment :

Particulars	New unit (Actual Investment in Rupees)	Existing unit under going expansion /modernization (actual Investment in rupees)		
expansion/		Prior expansion/ modernization	Investment for expansion/mod- ernization	Total Investment after modernization
a. Land				
b. Site Development				
c. Building				
i. Office building				
ii. Factory building				
d. Plant & Machinery/ Component/Item				
e. Accessories				
f. Installation and Electrification				
g. Preliminary & pre-operative expanses				
h. Miscellaneous fixed assets				
Total				

- 9 Means of Finance :
- i Promoters contribution :
- ii Equity :
- iii Term Loan from financial institution :
- iv Unsecured loan :
- v Internal resources :
- vi Any other sources, please specify _____ :
- Total** _____ :
- 10 Financial assistance received from Financial Institution / Bank
- a. Name of the Bank :

- b. Amount sanctioned by FI/Bank for fixed capital investment and date of sanction (new unit) :
- c. Amount sanctioned by FI/Bank for working capital and date of sanction (new unit) :
- d. Amount disbursed by the FI/Bank as per certificate issued by FI/Bank (new unit) :
- e. Amount sanctioned by FI/Bank for Fixed capital investment and date of sanction (expansion unit) :
- f. Amount disbursed by FI/Bank for expansion and date of first disbursement. :
- 11 Power :
- a Date and quantum of Power sanction for new units (in KW) :
- b Date of sanction and quantum of power for the existing unit – prior to expansion (in KW) :
- c Quantum of additional power sanction and date of sanction – for expansion unit (unit in KW) :
- d Total sanction and connected load after expansion in KW :
- 12 Item/s of production/ Service rendered :
- 13 Major raw materials used :
- 14 Sources of raw materials :
- 15 Whether NOC/Consent received from the Pollution Control Board :
- 16 Whether NOC obtained from local body :
- 17 Whether the unit has any franchise or marketing tie up with any unit ? :
- 18 Employment position in the unit :
- 19 Amount of Central Capital Subsidy received under any other Package :

Comments of the Enquiry Officer

Certified that I have examined each and every particulars furnished by the claimant..... (name of the unit) and all the annexure/ relevant documents furnished with this claim and found them to the correct and beyond all reasonable doubt. I have also personally visited the unit on (date) and verified land, building, plant & machinery /component/items belonging to the unit whose details are given below. It is further certified that these details resemble the details furnished in the claim application for subsidy. I have also verified the prices mentioned in the application for land, building, plant and

machinery/component /item with original documents and found them to be correct.

(a) Eligible fixed Capital Investment for CCISS :

(b) Recommended amount of CCISS :

Signature
and Seal

Comments of the General Manager

Signature and Seal

Form:1C(F)

CERTIFICATE FROM CHARTERED ACCOUNTANT REGARDING SOURCES OF FINANCE

I/We hereby certify that M/s.
(name of the unit with location) has made the following fixed capital investment amounting to Rs. in their proposed/new unit/existing unit for expansion during the period from tofor manufacturing/rendering service of by the unit. I/We have checked the books of accounts of the unit and found that the unit has made the fixed capital investment from the following sources:

(a) Promoters contribution	:	Rs.
(b) Equity	:	Rs.
(c) Term Loan from Financial Institution/Bank	:	Rs.
(d) Un-Secured Loan	:	Rs.
(e) Internal Resources	:	Rs.
(f) Any other source (pl. specify)	:	Rs.
Total	:	Rs.

Date:
Place:

Signature of the Chartered Accountant:
Registration No. & Seal.

Form No:1C(G)(i)

CERTIFICATE FROM THE REGISTERED ARCHITECT ON CIVIL CONSTRUCTION

**(for new unit)
(for service sector)**

Name of the Architect:

I/We hereby certify that M/s. (name of the unit with location) has made investment for CIVIL CONSTRUCTION in their unit for the period from..... to Against the estimated cost of Rs..... for their unit. Details shown as below:

S. No.	Item/of fixed assets	Value of investment in Rupees
1.	Cost of land including purchase value, registration etc	
2.	Cost of land development	
3.	Cost of Boundary wall, culvert/bridges, retaining wall	
4.	Cost of approach road including the cost of earth filling, black tapping (whichever applicable)	
5.	Cost of construction of main building including interior and electrification	
6.	Cost of electrification	
7.	Cost of construction of godown, workers quarter etc.	
8.	Cost towards Architect fees/fees towards preparation of estimate etc	
9.	Cost towards hiring of earthmoving equipments	
10.	Cost towards painting, furnishing etc.	
11.	Cost towards labour payment, transportation, loading unloading, installation etc.	
12.	Cost towards construction of Dam, reservoir	
13.	Cost towards construction of power house	
14.	Any other Civil construction, pl specify.	
	Total	

I/We have checked the accounts of the unit, the invoices/registers etc, and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true. I/We also certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is raised there against in the books of the unit.

Date:
Place:

Signature of the Architect
Seal and Date:

Form No:1C(G)(ii)

CERTIFICATE FROM THE REGISTERED ARCHITECT ON CIVIL CONSTRUCTION

**For existing unit undergoing Expansion
(Applicable for Service Sector)**

Name of the Architect:

I/We hereby certify that M/s.....(name of the unit with location) has made capital investment for CIVIL CONSTRUCTION in their unit for expansion programme fromto.....against the estimated cost of Rs.....The unit is engaged inand gone into operational functional after expansion ondate.

S. No.	Items of fixed assets	Investment prior expansion	Additional investment made during the period from.....to....	Total Capital Investment
1.	Cost of land including purchase value registration etc			
2.	Cost of land development			
3.	Cost of Boundary wall, culvert/bridges, retaining wall			
4.	Cost of approach road including the cost of earth filling, black tapping (whichever is applicable)			
5.	Cost of construction of main building interior and Electrification			
6.	Cost of electrification			
7.	Cost of construction of godown, workers quarter etc.			
8.	Cost towards Architect fees/ fees towards preparation of estimate etc			
9.	Cost towards hiring of			

	earthmoving equipments			
10.	Cost towards painting, furnishing etc.			
11.	Cost towards labour payment, transportation, loading unloading, installation etc.			
12.	Cost towards construction of Dam, reservoir			
13.	Cost towards construction of power house			
14.	Any other Civil construction, pl specify.			
	Total			

We have checked the accounts of the unit, the invoices/registers etc, and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is raised there against in the books of the unit.

Date:
Place:

Signature of the Architect
Date & Seal

Monitoring Form: 1

PROFORMA FOR AGENDA NOTES TO BE SUBMITTED TO STATE LEVEL COMMITTEE UNDER SPECIAL PACKAGE FOR CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY SCHEME, 2013, FOR HIMACHAL PRADESH / UTTARAKHAND.

- 1 Name and address of the applicant unit :
- 2 Location of the Industrial unit :
3. Name of the manufacturing/ Service Sector activities as per Special Package-II, 2013 for Himachal Pradesh and Uttarakhand :
- 4 Date of registration in case of company / cooperative society / partnership :
 - a Whether new/ existing unit under- going expansion :
 - b In case of new unit date of commencement of production :
 - c In case of expansion unit, date of going into commercial production after expansion. :
- 5 PMT registration No with date / Acknowledgement of Entrepreneur Memorandum of part-II with date / Acknowledgement of Industrial Entrepreneur Memorandum with date / Industrial Licence No & Date (wherever applicable). :
- 6 Employment generated :
- 7 Item(s) of Production/ Services to be produced :

Sl no	Item/s	Annual Installed Capacity	Value in Rs.
1			
2			
3			
4			

- 8 Project cost including the margin money for working capital :
- 9 Name/s of the Financial Institution/ Bank :
- 10 Means of Finance (in Rs) :
 - a. Promoter's Contribution / Equity :
 - b. Loan from Bank / FI :
 - c. Unsecured loan :
 - d. Government Equity / margin money :
11. Details of fixed capital investment (in Rs) :

For new unit	Existing unit under going	Total
--------------	---------------------------	-------

	(actual investment made)	expansion	
		Prior to expansion	During expansion
a	Land		
b	Building		
c	Plant & Machinery		
d	Electrical Installation		
e	Pre-operative preliminary expanses to be capitalized		
f	Other miscellaneous fixed assets		
Total			

12. Recommendation :
- (i) Central Capital Investment Subsidy (in Rs.) :

Signature of the Member Secretary
of SLC

Decision of the State level Committee meeting held on at

Signature of the Chairman of the
SLC

Monitoring Form: 2

PROFORMA TO BE SUBMITTED TO HPSIDC / SIDCUL BY THE SLC FOR DISBURSEMENT OF SUBSIDY UNDER CCISS, 2013 for HIMACHAL PRADESH / UTTARAKHAND

- 1 Name and address of the applicant unit :
2. Activity of the unit :
- 3 Location of the Industrial unit :
- 4 Date of registration in case of company / cooperative society / partnership :
 - a Whether new/ existing unit under- going expansion :
 - b In case of new unit date of commencement of production :
 - c In case of expansion unit, date of going into commercial production after expansion. :
- 5 PMT registration No with date / Acknowledgement of Entrepreneur Memorandum of part-II with date / Acknowledgement of Industrial Entrepreneur Memorandum with date / Industrial Licence No & Date. :
- 6 Employment generated :
- 7 Item/s of Production/ Services :
- 8 Name/s of the Financial Institution/ Bank from whom financial assistance has been sought by the unit. :
- 9 Means of Finance (Rs) :
 - a. Promoter's Contribution / Equity :
 - b. Loan from Bank / FI :
 - c. Unsecured loan :
 - d. Government Equity / margin money :
10. Total fixed capital investment (in Rs) :
11. Investment in Building/ Civil construction :
- 12 Investment in plant and machinery (in Rs.) :
 - a. For new unit :
 - b. For existing unit undergoing expansion :
13. Investment in other fixed assets/equipments (in Rs.) :
14. Total amount approved by the SLC and recommended for disbursement under Central Capital Investment Subsidy (in Rs.) :
15. Date of SLC held along with No. under CCISS, 2013. :
16. Name of the Banker, address and Account no of the unit :

Signature of the Member Secretary of SLC

**Monitoring Form: 3
AGREEMENT**

An agreement made on the day of two thousand and between the Government of, represented by the Director of Industries, or his nominee (herein after called the State Government) of the **First Part**

AND

Shri/Smt.....Son/daughter/wife of.....
authorized signatory of M/S a partnership firm/Cooperative society /proprietary concerned / company concerned registered under the Companies Act bearing registration no..... dtd. / firm registration no dtd /Acknowledgement No of EM- pt-II / IEM acknowledgement No..... dtd (here in called the unit) located at for manufacturing / rendering services of of the **SECOND PART**.

Where as

1. The unit has made an application to the State Government to avail benefit under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh / Uttarakhand.
2. After verification and scrutiny of claim, the Member Secretary of the State Level Committee is satisfied and placed the claim of the UNIT before the SLC in its meeting held on ----- SLC approved the claim of Central Capital Investment Subsidy Scheme (CCISS), 2013 and recommended for disbursement from the Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC) / State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited (SIDCUL), the designated disbursing agency nominated by Government of India for an amount of Rs..... (Rupees) only.
3. The UNIT is required under Section 124 of the Indian Contract Act, 1872, Chapter-VIII of the Indemnity and Guarantee and u/s 126 of the Act to enter into an agreement with the Government of regarding the matter specified in the said Section of the Act.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED AS FOLLOWS:

1. The subsidy will be disbursed to the UNIT by HPSIDC / SIDCUL, the designated agency for disbursement.
2. The UNIT will bear all other charges as may be incidental to the purpose of registration etc.
3. The State Government shall advise HPSIDC / SIDCUL to disburse the subsidy amount to the UNIT, subject to the conditions hereinafter set forth , viz:
4.
 - (a) That the UNIT, its successor and assigns are bound to abide by the conditions of the scheme.
 - (b) That if the Government of India / State Government / Financial Institution / Bank concerned is subsequently satisfied that the subsidy granted to UNIT has been obtained by misrepresentation as to an essential fact/s, furnishing of false information or if the UNIT goes out of production within 5 (five) years after commencement of commercial

production, the Central Government/State Government/HPSIDC/SIDCUL shall ask the UNIT to refund the amount, for safety of the public fund, after giving a reasonable opportunity to the UNIT of being heard.

- (c) That the UNIT , without taking prior approval of the Union Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & promotion) / State Government /Financial Institution / Bank concerned , shall not change the location of the whole or any part of the UNIT or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment on which subsidy has been granted, within a period of 5 (five) years after its going into commercial production.
- (d) The UNIT shall furnish Annual Progress Report (APR) to the State Government concerned, every year, about its working for a period of continuous 5 (five) years after going into production.
- (e) That if the UNIT commits a breach of any of the covenants herein contained, it shall be lawful for the State Government/Central Government to ask for refund of the subsidy amount so disbursed and thereupon, the grant or subsidy amount so approved and disbursed shall become null and void and of no effect and all right of the UNIT on the subsidy amount shall at once cease and determine.
- (f) In case of any dispute or claim arising as a result of the subsidy amount of Rs..... (Rs.....) disbursed by HPSIDC/SIDCUL and approved by SLC in its meeting held on and the agreement made on this day of..... Two thousand the Courts only in the State ofalone shall have the jurisdiction.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to have signed this agreement on the dates respectively mentioned against their signature.

AUTHORISED SIGNATORY OF THE UNIT

**ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF
.....**

Company / firm with date & Seal
.....

Director of Industries,

Witness:
Name with father's name & address

Seal & date

- 1.
- 2.

Signature

Monitoring Form: 4

ANNUAL PROGRESS REPORT TO BE SUBMITTED BY THE UNIT IN DUPLICATE TO DIC

(One copy for DIC and another copy for Directorate of Industries and should be submitted on or before 20th April, every year)

1.	Name and address of the Unit, telephone no, e-mail address, website etc.	:	
2.	Registration no/Acknowledgement No of EM part-II/Acknowledgement No. of IEM and date	:	
3.	Date of going into commercial production	:	
4.	Amount received from HPSIDC/SIDCUL till date of submission of this return ,viz: (i) Central Capital Investment Subsidy:	:	
5.	Whether new/Expansion unit	:	
6.	Items of production of the unit	:	
7.	Employment generated in the Unit	:	
	a. Before getting the Subsidy	:	
	b. After getting the subsidy	:	
8.	Whether any expansion programme undertaken by the unit after getting subsidy	:	
9.	Whether the unit has fully utilized the subsidy amount for creation of additional fixed assets or utilizing the fund in working capital, please specify	:	
10.	Sales of finished product during the last financial year, with quantity & value.	:	

Signature of the Authorized person
Date & Seal

Monitoring Form No: 5

Time-line for implementation of the Himachal Pradesh & Uttarakhand Package-II.

Unit should submit claim within one year from the date of commencement of commercial production at the concerned District Industry Centre (DIC) with complete documents as per norms.



The claim shall be examined at the DIC level as per the scheme guidelines. The physical verification of the unit in respect of plant & machinery installed shall be conducted by the authorized officer of DIC. GM, DIC shall ensure that all these formalities should be completed within 60 days from the date of submission of the claim by the unit and forward the claim to Directorate of Industries with its recommendations.



Directorate of Industries will go through the each case and verify whether the claim has been examined by the DIC concerned as per the norms and prepare agenda note for organizing the SLC meeting. After meeting of SLC, issue the sanction letter of the claims approved the SLC and forward the claim files to nodal agency for release of funds. Total time to be taken by Directorate of Industries should not be more than 90 days after receipt of the claim from DIC concerned. Therefore, the total time should not be more than 150 days from the date of submission of claim by the unit. All documentation should be completed when the claim is submitted to SLC.



Nodal Agency will make a request to the DIPP for funds as per the list of sanction issued by the Directorate of Industries along-with the utilization certificate of the earlier release of funds by DIPP within 15 days from the date of issue of sanction letter by Directorate of Industries. Simultaneously, conduct post-audit of 10% claims.



On the request of the nodal agency, DIPP will examine the requisition and process the same for release of funds. If the request is in order, release funds within 45 days.



The nodal agency shall disburse the funds to the bank account of the unit through electronic transfer as per norms within 30 days from the date of release of funds by PAO to the account of nodal agency.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता (सीसीआईएस) योजना, 2013 के तहत औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तथा राज सहायता दावों के निपटान की प्रक्रिया:

- (i) इस योजना के तहत राज सहायता के लिए दावा करने की इच्छुक औद्योगिक इकाई को नई इकाइयों के मामले में इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से पहले अथवा मौजूदा इकाई के मामले में पर्याप्त विस्तार करने की तारीख के पहले सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) में पंजीकरण (ईएम/आईईएम भाग-1/योजना के तहत पंजीकरण-फार्म 1ए व 1बी) कराना चाहिए।
- (ii) 'पर्याप्त विस्तार' से अभिप्राय क्षमता विस्तार के उद्देश्य से किसी औद्योगिक इकाई के संयंत्र तथा मशीनरी में नियत पूंजी निवेश के मूल्य में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना है।
- (ii) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी किसी भी औद्योगिक इकाई को औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के विशेष पैकेज के अन्तर्गत लाभ के लिए पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जो सम्बन्धित योजनाओं की अधिसूचना में दी गई उद्योगों की निषेध सूची में शामिल हो।
- (iv) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की प्रोत्साहन योजना के विशेष पैकेज के अन्तर्गत राज सहायता के लिए किए गए दावों को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारित आवेदन फार्मों (जांच सूची फार्म 1सी(i) के अनुसार दस्तावेज सहित फार्म-1सी) में सम्बन्धित डीआईसी को प्रस्तुत किया जाना है।

इसमें बैंक/वित्तीय संस्था (बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के मामले में) की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल (स्व-वित्त पोषित इकाइयों के मामले में) की मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल होगी।

दावा आवेदन के साथ क्रमशः फार्म 1सी(ए)(i) या 1सी(ए)(ii) में एक 'विचलन विवरण' भी प्रस्तुत किया जाएगा।

- (v) ईएम या आईईएम भाग-2, जैसा लागू हो, दायर करने की तारीख से वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख को तय किया जाएगा।
- (vi) डीआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज सहायता के लिए दावा आवेदन फार्म सभी प्रकार से पूरे हों तथा इनके साथ फार्म 1सी(i) के रूप में संलग्न जांच

सूची के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज लगे हुए हों। अपेक्षित दस्तावेज के बिना अधूरे आवेदन पत्रों पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।

- (vii) यदि दावा न्यायाधीन है तो इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- (viii) संयंत्र तथा मशीनरी/परियोजना की लागत के सम्बन्ध में सभी लेन-देन, जैसा भी मामला हो, "आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक" अथवा "डिमांड ड्राफ्ट" के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। नकदी में किए गए भुगतान को राज सहायता की गणना के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाएगा।
- (ix) डीआईसी को निरपवाद रूप से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र देना चाहिए कि प्रत्येक पात्र इकाई की राज सहायता की राशि की सिफारिश करते समय कोई नकद भुगतान शामिल नहीं किया गया है।
- (x) समस्त व्यय को पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- (xi) इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता की पात्रता तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए भूमि की लागत को गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (xii) आयातित पुराने पूंजीगत माल पर योजनाओं के तहत राज सहायता नहीं दी जाएगी। आवेदन को यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किया गया है।
- (xiii) इसके साथ संलग्न सम्बन्धिता जांच सूची के अनुसार अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित दिनांक वाली मोहर लगी होनी चाहिए।
- (xiv) डीआईसी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक इकाई के स्थान का दौरा करना चाहिए तथा औद्योगिक इकाई के मौजूद होने एवं इसके प्रचालन तथा इकाई द्वारा किए गए पर्याप्त विस्तार की वास्तविक रूप से पुष्टि करनी चाहिए तथा एक निर्धारित फार्म-1सी(ई) में रिपोर्ट तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत विचलन रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
- (xv) निदेशक उद्योग एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे, जो यह प्रमाणित करेगा कि डीआईसी द्वारा अग्रेषित दस्तावेज पूरे हैं।
- (xvi) उद्योग निदेशालय (डीआई) को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दावों के प्राप्त होने की तारीख से 150 (एक सौ पचास) दिनों के भीतर सभी दावों को राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्ब होने पर डीआई के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इसके कारण लिखित में दिये जाने चाहिए।
- (xvii) बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, बैंक परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को प्रमाणित करेंगे। स्व-वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, सेवा और विनिर्माण दावों क्षेत्रों के मामले में इकाई द्वारा पंजीकरण के बाद एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित

किसी अन्य एजेंसी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा। एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल/सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी राज सहायता के लिए पात्र संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को भी प्रमाणित करेंगे।

- (xviii) इन योजनाओं के तहत दावों से सम्बन्धित मामलों का ढेर लगने से बचने के लिए एसएलसी की बैठक का आयोजन तीन महीने में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।
- (xix) महिला उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही इकाइयों के दावों के सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची रखी जानी चाहिए। ऐसी इकाई के दावे पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उद्योग निदेशालय को मासिक आधार पर उनकी प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।
- (xx) एसएलसी की बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पहले इसकी बैठक की सूचना विस्तृत कार्यसूची टिप्पण के साथ, सभी सम्बन्धित प्रतिभागियों (भारत सरकार के नामितों सहित) को भेज दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं करने की स्थिति में बैठक स्थगित कर दी जाएगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के मामले में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।
- (xxi) राज सहायता की राशि 30 लाख रूपए से अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार के एक दल के द्वारा इकाई का क्षेत्र दौरा कराना चाहिए जिसमें (क) सम्बन्धित राज्य सरकार, (ख) इकाई को सहायता प्रदान कर रही वित्तीय संस्था, और (ग) एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल, प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। परियोजना लागत के निर्णय का आधार बैंक द्वारा अनुमोदित विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट होगी।
- (xxii) क्षेत्र दौरा दल के मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्य होंगे:-
- उस संयंत्र तथा मशीनरी की भौतिक रूप से उपलब्धता की पुष्टि करना जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक इकाई ने दावा पेश किया है।
 - यह सुनिश्चित करना कि क्या इन संयंत्रों तथा मशीनरी के संघटक/मदें, जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक इकाई द्वारा राज सहायता का दावा किया गया है, योजना के प्रावधानों तथा बाद में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अनुरूप हैं।
 - संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की मात्रा का निर्धारण करते समय अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों के साथ उस वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट पर निरपवाद रूप से विचार करना जिसने औद्योगिक इकाई को परियोजना के लिए सहायता दी हो।
 - इकाई द्वारा प्रस्तुत 'विचलन रिपोर्ट' पर टिप्पणी करना।

- क्षेत्र दौरा करने की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर क्षेत्र दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (xxiii) क्षेत्र दौरा एसएलसी बैठक से पहले किया जाएगा। क्षेत्र दौरा दल की रिपोर्ट एसएलसी बैठक की कार्यसूची का एक भाग होगी।
- (xxiv) इस योजना के अन्तर्गत किसी दावे की सिफारिश/अनुमोदन करते समय एसएलसी निम्नलिखित पर विचार करेगी:-
- डीआईसी की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट।
 - क्षेत्र दौरा दल की मूल्यांकन रिपोर्ट (30 लाख रूपए से अधिक से दावों के लिए अनिवार्य है)।
 - औद्योगिक इकाई के मौजूद होने के सबूत से सम्बन्धित दस्तावेज।
 - इकाई के उत्पादन आंकड़े।
 - औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर)।
 - क्या इन संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति/अर्जन हेतु भुगतान आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए किया गया है।
 - उस वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता दी है।
 - इकाई के दावा आवेदन सहित उनके द्वारा प्रस्तुत 'विचलन रिपोर्ट'।
 - संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटकों के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए स्पष्टीकरण।
 - उपर्युक्त के अलावा, एसएलसी ऐसे अन्य दस्तावेजों/रिपोर्टों की भी अपेक्षा कर सकती है, जो उनके विचार से औद्योगिक इकाईयों द्वारा किए गए दावों की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हों।
- (xxv) किसी विशेष दावे के सम्बन्ध में सिफारिश/अनुमोदन/अस्वीकृति हेतु विस्तृत विचार-विमर्श तथा औचित्य या सम्बन्धित एसएलसी बैठक के कार्यवृत्त में विधिवत् रिकार्ड रिखा जाएगा। औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता करने वाली वित्तीय संस्था (संस्थाओं)/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल की मूल्यांकन रिपोर्ट में विचार की गई संयंत्र एवं मशीनरी की मदों की सूची तथा तकनीकी दल की मूल्यांकन रिपोर्ट में किसी विचलन का एसएलसी द्वारा समुचित स्पष्टीकरण/औचित्य दिया जाएगा।
- (xxvi) एसएलसी को अपनी सिफारिश में यह प्रमाणित करना चाहिए कि दावा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार/अनुरूप है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटक शामिल हैं।

- (xxvii) कम से कम 10 प्रतिशत दावों पर उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल द्वारा लेखा परीक्षा करने के बाद विचार किया जाएगा।
- (xxviii) इकाई से अपेक्षा की जाएगी कि वह वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में पांच वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) उद्योग निदेशालय को भेजे।
- (xxix) किसी औद्योगिक इकाई को देय राज सहायता की मात्रा की गणना योजनाओं में यथा निर्धारित पात्र संघटकों तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा बाद में समय-समय पर जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी शंका होने पर मामला स्पष्टीकरण हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भेजा जा सकता है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xxx) भारत सरकार द्वारा विभिन्न पात्र इकाईयों को स्वीकृत राज सहायताओं के संवितरण के लिए एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल द्वारा पात्र इकाई के विनिर्दिष्ट खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए प्रत्येक जमा के लिए बैंकों को भुगतान सूचना जारी करके ई-भुगतान/आरटीजीएस/एनईएफटी का उपयोग किया जाए।
- (xxxii) डीआईसी/एसएलसी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत/आपत्ति वाले दावों की सूची अस्वीकृति के कारणों/आपत्ति/टिप्पणी आदि सहित वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए।
- (xxxiii) राज्य सरकार स्थापित इकाईयों, किए गए निवेश और सृजित रोजगार के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (xxxiv) राज्य सरकार उद्यमियों की जागरूकता और योजना के संवर्धन के लिए आईईसी क्रियाकलाप चलाएगी।
- (xxxv) राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए छमाही समीक्षा भी करेगी।
- (xxxvi) इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापन/अधिसूचनाओं के अधीन प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

**केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत दावों के लिए निर्धारित
फार्म/प्रपत्र/प्रोफार्मा**

क्र.सं.	प्रयोजन	फार्म संख्या
1.	औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के विशेष पैकेज के अन्तर्गत नई इकाईयों के पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म।	1ए
2.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र (नई इकाईयों के लिए)।	1ए.1
3.	जांच सूची (पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म के साथ नई इकाईयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियां)।	1ए(i)
4.	मौजूदा इकाईयों के पंजीकरण हेतु आवेदन-फार्म।	1बी
5.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र (मौजूदा इकाई के लिए)।	1बी.1
6.	जांच सूची (पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म के साथ मौजूदा इकाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियां)।	1बी(i)
7.	केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता हेतु दावा आवेदन फार्म।	1सी
8.	संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश सम्बन्धी वितरण।	1सी(ए)
9.	जांच सूची (पूंजी निवेश राज सहायता का दावा करने के लिए आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियां)।	1सी(i)
10.	सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता के दावों पर विचार के लिए आयोजित एसएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित भरा जाने वाला तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भेजा जाने वाला प्रोफार्मा (बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिए)।	1सी(ए)(i)
11.	सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता के दावों पर विचार के लिए आयोजित एसएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित भरा जाने वाला तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भेजा जाने वाला प्रोफार्मा (स्व-वित्त पोषित इकाईयों के लिए)।	1सी(ए)(ii)
12.	एसएलसी द्वारा सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता के लिए पात्र मानी गई संयंत्र एवं मशीनरी की मदों/संघटकों की विस्तृत सूची।	1सी(ए)(iii)
13.	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र (नई इकाईयों के लिए)।	1सी.(बी)(i)
14.	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र (मौजूदा इकाई के लिए)।	1सी.(बी)(ii)
15.	शपथ पत्र।	1सी(सी)
16.	वित्तीय संस्था/बैंक से प्रमाण-पत्र।	1सी(डी)

17.	केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता हेतु डीआईसी की जांच रिपोर्ट।	1सी(ई)
18.	वित्त के स्रोतों के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण-पत्र।	1सी(एफ)
19.	सेवा क्षेत्र के लिए सिविल विनिर्माण हेतु पंजीकृत वास्तुशिल्पी से प्रमाण-पत्र (नई इकाई के लिए)।	1सी(जी)(i)
20.	सेवा क्षेत्र के लिए सिविल विनिर्माण हेतु पंजीकृत वास्तुशिल्पी से प्रमाण-पत्र (मौजूदा इकाई के लिए)।	1सी(जी)(ii)
21.	सीसीआईएस के लिए एसएलसी हेतु कार्यसूची टिप्पण का प्रपत्र।	निगरानी फार्म: 1
22.	राज सहायता के संवितरण हेतु एचपीएसआईडीसी तथा एसआईडीसीयूएल को एसएलसी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा।	निगरानी फार्म: 2
23.	करार प्रोफार्मा।	निगरानी फार्म: 3
24.	इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर)।	निगरानी फार्म: 4
25.	पैकेज के कार्यान्वयन की समय-सीमा।	निगरानी फार्म: 5

फार्म: 1ए
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के लिए औद्योगिक प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज के तहत
पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म
(नई इकाई के लिए)
(चार प्रतियों में भेजा जाना है)

1. क औद्योगिक इकाई का नाम व स्थान
(i) गांव/पुलिस स्टेशन
(ii) जिला
ख दूरभाष संख्या सहित पूरा पता
(i) दूरभाष सं. सहित फ़ैक्ट्री
(ii) दूरभाष सं. सहित पंजीकृत कार्यालय
2. क इकाई का गठन (कृपया स्पष्ट करें कि क्या मालिकाना/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति है)
ख मालिकों/साझेदारों/निदेशक मण्डल के निदेशकों/सहकारी समिति के सचिव और अध्यक्ष के नाम (यदि आवश्यकता हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें।)
3. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की प्रस्तावित तिथि
4. औद्योगिक इकाई विनिर्माण क्षेत्र के तहत आती है अथवा सेवा क्षेत्र के तहत
5. सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण का ब्यौरा
क यदि विनिर्माण क्षेत्र है, तो कृपया निम्नलिखित को दशायें
i एमएसएमई की पावती सं./उद्यमी ज्ञापन (ईएम) की तिथि भाग-1 (यदि कोई हो)
ii औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की पावती सं./औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की तिथि (यदि कोई हो)
iii केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को विधिवत प्राप्ति स्वीकार गई पत्र की प्रति
- ख यदि सेवा क्षेत्र है तो कृपया सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित पंजीकरण/लाइसेंस सं. (यदि कोई हो) बताएं
6. प्रस्तावित अचल पूंजी निवेश का विवरण/ब्यौरा (राशि रू. में)
क भूमि

- ख स्थल विकास
ग भवन
(i) फ़ैक्ट्री भवन
(ii) कार्यालय भवन
घ संयंत्र एवं मशीनरी/मर्दें/संघटक
ङ इलैक्ट्रिकल संस्थापन
च प्रारम्भिक एवं प्रचालन पूर्व खर्च
छ विविध अचल परिसम्पत्तियां

- कुल
7. विद्युत/बिजली की प्रस्तावित आवश्यकता (किलो वाट/मैगा वाट)
8. प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता-मात्रा-रूपये में मूल्य² उत्पाद (उत्पादों)/दी गई सेवा का नाम
(i)
(ii) ..आदि
9. कच्चा माल
इस्तेमाल किये गये कच्चे माल का नाम
(i)
(ii)
10. इकाई में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित रोजगार सृजन
क प्रबन्धकीय
ख पर्यवेक्षी स्टाफ
ग कुशल कामगार
घ अर्ध कुशल कामगार
ङ अकुशल कामगार
च अन्य
11. घोषणा
मैं/हम.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर
आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम
मोहर

जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्यक्ति रूप से दिनांक को मैसर्स का दौरा किया तथा पंजीकरण हेतु इस आवेदन से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की जांच की है और उन्हें सही पाया है।

इसके अलावा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उत्पादित मद केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुबन्ध-IV में परिभाषित किए गए अनुसार निषेध सूची के अन्तर्गत नहीं आती है।

सीसीआईएसएस, 2013 के तहत पंजीकरण प्रदान करने के लिए संस्तुत।

तिथि:

स्थान:

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

केवल जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के कार्यालय के प्रयोग के लिए

मैसर्स..... के आवेदन की अनुलग्नकों सहित जांच की गई है तथा इसे सही पाया गया है। उत्पादित मद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुबन्ध-IV में परिभाषित निषेध सूची के अन्तर्गत नहीं आती है।

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत पंजीकरण प्रदान करने हेतु संस्तुत।

तिथि:

स्थान:

सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम/कार्यालय मोहर

फार्म-1ए(i)

जांच सूची: पंजीकरण (नई इकाई)

सीसीआईएस योजना, 2013 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म के साथ नई इकाईयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियां।

1. इकाई का गठन/प्रकार
 - (क) प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में
 - i कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र
 - ii संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम
 - iii निदेशकों के नाम व पते, उनकी पैन संख्या सहित
 - (ख) साझेदारी फर्म के मामले में
 - i साझेदारी विलेख
 - ii साझेदारों के नाम व पते, उनकी पैन संख्या सहित
 - iii सामान्य पावर ऑफ अटर्नी
 - (ग) सहकारी समिति के मामले में
 - i पंजीकरण प्रमाण-पत्र
 - ii संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम
 - iii इकाई के पंजीकरण के लिए आम सभा की बैठक का संकल्प
2. पंजीकरण सं.
 - i ईएम भाग-1
 - ii भाग-2/आईएम/एलओआई/आईएल (यदि कोई हो)
3. स्थानीय निकाय/किसी अन्य प्राधिकरण (उदाहरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
4. बैंक/सम्बन्धित वित्तीय संस्था से मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण, यदि कोई हो, का मंजूरी-पत्र।
5. सम्बन्धित विभाग से यथा लागू अनिवार्य/बाध्यकारी पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण-पत्र (सेवा क्षेत्र की इकाईयों के मामले में)।
6. राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय के निदेशानुसार अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

फार्म: 1ए.1

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार।

महाप्रबन्धक का कार्यालय: जिला उद्योग केन्द्र

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज के तहत
पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

मैसर्स..... को एतद्द्वारा केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत पंजीकृत किया जाता है तथा इस योजना के तहत उसे आवंटित सामान्य पंजीकरण संख्या डीआईसी/...../...../20...../ दिनांक है।

स्थान:

दिनांक:

महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर
जिला उद्योग केन्द्र

टिप्पणी: सम्बन्धित डीआईडीसी पंजीकरण (फार्म: 1ए और फार्म: 1ए.1) प्रमाण-पत्र के साथ इस पंजीकरण आवेदन (बिना अनुलग्नक के) की एक प्रति निम्नलिखित को भेजेगा:

- (1) सम्बन्धित उद्योग निदेशालय।
- (2) एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल

फार्म: 1बी
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष पैकेज योजना, 20103 के अन्तर्गत पंजीकरण
हेतु आवेदन फार्म
(पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के लिए)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत करना है)

1. क औद्योगिक इकाई एवं स्थल का नाम
(i) गांव/थाना
(ii) जिला
ख दूरभाष संख्या सहित सम्पूर्ण पता
(i) फ़ैक्ट्री
(ii) पंजीकृत कार्यालय
2. क इकाई का गठन (कृपया स्पष्ट करें कि क्या मालिकाना/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति है)
ख मालिकों/साझेदारों/निदेशक मण्डल के निदेशकों/सहकारी समिति के सचिव और अध्यक्ष का पता (आवश्यकता होने पर अलग से पृष्ठ संलग्न करें।)
3. विस्तार के बाद इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की प्रस्तावित तारीख
4. औद्योगिक इकाई विनिर्माण क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है
5. सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण का ब्यौरा
क यदि विनिर्माण क्षेत्र है, तो कृपया उल्लेख करें
i एमएसएमई की पीएमटी पंजीकरण संख्या तारीख सहित/पावती संख्या/उद्यमी ज्ञापन (ईएम) की तारीख भाग-1/भाग-2 (यदि कोई हो)
ii औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की पावती संख्या/उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की तारीख (यदि कोई हो)
ख यदि सेवा क्षेत्र है तो सम्बन्धित विभाग की अपेक्षित पंजीकरण/लाइसेंस संख्या (यदि कोई हो)
6. अचल पूंजी निवेश (राशि रु. में)
विवरण मौजूदा विस्तार के लिए कुल निवेश प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश

- क भूमि
- ख स्थल विकास
- ग भवन
 - (i) फ़ैक्ट्री भवन
 - (ii) कार्यालय भवन
- घ संयंत्र एवं मशीनरी/संघटक मर्दें
- ङ विद्युत अधिष्ठापन
- च प्रारम्भिक एवं प्रचालन पूर्व खर्च
- छ विविध अचल परिसम्पत्तियां

कुल

7. भूमि और भवन का ब्यौरा

क भूमि

- क अपनी भूमि
 - i भूमि क्षेत्र, राजस्व गांव, डाग संख्या एवं पट्टा संख्या
 - ii खरीद की तारीख
 - iii पंजीकरण की तारीख
- ख सरकार/सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित भूमि
 - i भूमि क्षेत्र सहित आवंटन/करार की तारीख
 - ii कब्जा लेने की तारीख
- ग पट्टेवाली भूमि
 - i पट्टा विलेख के पंजीकरण की तारीख
 - ii पट्टा अवधि

ख भवन

- क अपना भवन/किराए का भवन
- ख अपने भवन के मामले में
 - i विस्तार से पूर्व निर्मित क्षेत्र
 - ii विस्तार पश्चात् प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र

8. बिजली इस्तेमाल का ब्यौरा

- i विस्तार से पहले मंजूर विद्युत-लोड
- ii विस्तार से पहले जुड़ा हुआ विद्युत लोड
- iii क्या विस्तार के लिए अतिरिक्त लोड की अपेक्षा एक अनिवार्य अपेक्षा है। यदि हां, तो अपेक्षित/आवेदित अतिरिक्त लोड की मात्रा

9. उत्पादन क्षमता

उत्पाद विस्तार से पहले वार्षिक विस्तार के पश्चात् प्रस्तावित (उत्पादों)/प्रदत्त संस्थापित क्षमता वार्षिक संस्थापित क्षमता

सेवा का नाम) गुणवत्ता रूपयों में मूल्य गुणवत्ता रूपयों में मूल्य
(i)
(ii)
(iii)

10. उत्पादन क्षमता

उत्पाद विस्तार से पहले वार्षिक विस्तार के पश्चात् प्रस्तावित
(उत्पादों/प्रदत्त संस्थापित क्षमता वार्षिक संस्थापित क्षमता

सेवा का नाम) गुणवत्ता रूपयों में मूल्य गुणवत्ता रूपयों में मूल्य

(i)

(ii)

**11. विभिन्न कार्य क्षेत्रों में इकाई का विस्तार से विस्तार के कुल
रोजगार सृजन पहले लिए प्रस्तावित**

अतिरिक्त

रोजगार

क प्रबन्धकीय

ख पर्यवेक्षी स्टाफ

ग कुशल कामगार

घ अर्ध कुशल कामगार

ङ अकुशल कामगार

च अन्य

12. घोषणा

मैं/हम.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हूं कि.
.....के तहत पंजीकरण हेतु इस आवेदन में दी गई सूचना सही है तथा
मेरे/हमारे अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

हस्ताक्षर

स्थान: आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम

तारीख: मोहर

जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दिनांकको मैसर्स
..... की इकाई का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया तथा
'पर्याप्त विस्तार' के लिए पंजीकरण हेतु इस आवेदन से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की जांच की
तथा उन्हें ठीक पाया।

इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि उत्पादित मद इस योजना की
अधिसूचना में परिभाषित निषेध सूची में नहीं आती।

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना,
2013 के अन्तर्गत पर्याप्त विस्तार के लिए पंजीकरण देने हेतु सिफारिश की जाती है।

तिथि:

स्थान:

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

केवल जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के कार्यालय के प्रयोग के लिए

मैसर्स..... के आवेदन की
सम्बन्धित अनुलग्नकों सहित जांच की गई है तथा इसे सही पाया गया है। उत्पादन मद
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 2(1)/2013-एसपीएस के पैरा 8
(अनुबन्ध-III) में यथा परिभाषित निषेध सूची में नहीं आता।

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता
योजना, 2013 के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु सिफारिश की जाती है।

तिथि:

स्थान:

सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम/कार्यालय मोहर

फार्म: 1बी.1
.....की सरकार
महाप्रबन्धक का कार्यालय: जिला उद्योग केन्द्र

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य के लिए विशेष पैकेज योजना, 2013 के तहत पंजीकरण का
प्रमाण-पत्र

(पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के लिए)

मैसर्स..... को एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है तथा इस योजना के तहत उसे आवंटित सामान्य पंजीकरण संख्या डीआईसी/..... /एसपीएस/20...../..... दिनांकहै।

स्थान:
दिनांक:

महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर
जिला उद्योग केन्द्र

टिप्पणी: सम्बन्धित डीआईडीसी निम्नलिखित को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (फार्म: 1बी और फार्म: 1बी.1) के साथ पंजीकरण हेतु इस आवेदन की एक प्रतिलिपि (बिना अनुलग्नक) अग्रेषित करेगा:

- (1) सम्बन्धित उद्योग निदेशालय।
- (2) एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल

फार्म: 1बी(i)

जांच सूची: पंजीकरण (मौजूदा इकाई)

पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाईयों द्वारा हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज योजना, 2013 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपियां।

1. इकाई का गठन
- क. प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में
 - (i) कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 - (ii) संस्था के अंतर्नियम अथवा बहिर्नियम।
 - (iii) निदेशकों के पैर नं. सहित नाम तथा पते।
- ख. साझेदारी फर्म के मामले में
 - (i) साझेदारी विलेख।
 - (ii) सामान्य पावर ऑफ अटर्नी।
 - (iii) साझेदारों के पैर सं. सहित नाम और पते।
- ग. सहकारी समिति के मामले में
 - (i) संयुक्त सहकारी समिति रजिस्टर से पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 - (ii) इकाई के पंजीकरण हेतु आम सभा का संकल्प।
 - (iii) संस्था के अन्तर्नियम अथवा बहिर्नियम।
2. पंजीकरण
 - (i) स्थायी (पीएमटी) पंजीकरण/उद्यमी ज्ञापन (ईएम) भाग-2/ आईईएम/ एलओआई/आईएल (जहां लागू हो)।
 - (ii) सम्बन्धित विभाग से, जहां लागू हो, अनिवार्य/बाध्यकारी पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण-पत्र (सेवा क्षेत्र इकाई के मामले में)।
3. परियोजना रिपोर्ट।
4. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण (अर्थात् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
5. बैंक/वित्तीय संस्था से मीयादी ऋण मंजूरी पत्र।
6. भूमि एवं भवन (मौजूदा)।
 - क) स्वयं की भूमि के मामले में
 - (i) स्वामित्व स्थापित करने के लिए क्रय विलेख/उपहार विलेख/अन्य कोई दस्तावेज।
 - ख) किसी सरकारी एजेंसी द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटित किये जाने के मामले में
 - (i) करार विलेख।

- (ii) अद्यतन किराया रसीद।
- (घ) किसी निजी स्वामी से पट्टे पर ली गई भूमि के मामले में
 - (i) पंजीकृत पट्टा विलेख।
 - (ङ) सरकारी भूमि/सरकार द्वारा आवंटित भूखण्ड के मामले में
 - (i) आवंटन पत्र तथा ट्रेस मैप (नक्शा)।
 - (ii) प्रीमियम भुगतान रसीद।
- 7. राज्य बिजली बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी से बिजली मंजूरी पत्र।
- 8. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/प्रचालन के लिए सहमति।
- 9. कर्मचारियों के नाम, पते तथा पदनामों की सूची।
- 10. पिछले तीन लेखा वर्षों का लेखा परीक्षित तुलना पत्र।
- 11. राज्य सरकार/उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित अन्य कोई दस्तावेज।

फार्म: 1सी

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 का दावा करने से सम्बन्धित आवेदन फार्म

भाग-1: विनिर्माण तथा सेवा दावों क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू

1. क. औद्योगिक इकाई का नाम। :
- ख. दूरभाष संख्या (यदि कोई हो) सहित फ़ैक्ट्री का पता। :
- ग. दूरभाष/मोबाइल संख्या (यदि कोई हो) सहित कार्यालय का पता। :
- घ. पंजीकृत कार्यालय। :
2. क. इकाई का गठन (मालिकाना/ साझेदारी/ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति)। :
- ख. मालिकों/साझेदारों/सहकारी समिति के निदेशक/सचिव तथा अध्यक्ष के नाम व पते। :
3. क्या नई इकाई अथवा मौजूदा इकाई का विस्तार हो रहा है :
- क. नई इकाई के मामले में :
 - i वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू होने की तारीख। :
- ख. मौजूदा इकाई के विस्तार करने के मामले में :
 - i विस्तार के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू होने की तारीख। :
4. पंजीकरण का ब्यौरा :
 - क. नई इकाई के मामले में :
 - i ईएम भाग-2 संख्या तथा तारीख। :
 - ii आईईएम संख्या व तारीख। :
 - ख. विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के मामले में :
 - i स्थायी (पीएमटी) पंजीकरण/ आईईएम/ ईएम भाग-2 संख्या एवं तारीख। :

ग. सम्बन्धित विभाग से (सेवा क्षेत्र इकाईयों के :
मामले में जैसा लागू हो, अनिवार्य/
बाध्यकारी पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण-पत्र)।

5. हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी :
निवेश राज सहायता योजना, 2013 के अन्तर्गत
पंजीकरण संख्या (फार्म: 1ए/1बी)

6. अचल पूंजी निवेश :

विवरण		नई इकाई के लिए	विस्तार वाली मौजूदा इकाई के लिए		
			विस्तार पूर्व	विस्तार के दौरान	विस्तार पश्चात् कुल
क. भूमि					
ख. स्थल विकास					
ग. भवन					
i. कार्यालय भवन					
ii. फैक्ट्री भवन					
घ. संयंत्र तथा मशीनरी/संघटक/मद					
ङ. विद्युत अधिष्ठापन					
च. प्राथमिक/प्रचालनपूर्व खर्च					
छ. विविध अचल परिसम्पत्तियां					
कुल					
7.	क	वित्त स्रोत	:		
	i.	प्रवर्तकों का अंशदान	:		
	ii.	इक्विटी	:		
	iii.	मीयादी ऋण	:		
	iv.	गैर-जमानती ऋण	:		
	v.	आंतरिक संसाधन	:		
	vi.	कोई अन्य स्रोत (कृपया उल्लेख करें)	:		
		कुल			
7.	ख	मंजूर अवधि/कार्यशील पूंजी ऋण (यदि कोई हो तो) का ब्यौरा	:		
		बैंक/वित्तीय संस्था का नाम	मंजूर मीयादी/कार्यशील पूंजी/ऋण की राशि	मंजूरी पत्र संख्या व तारीख	संवितरित मीयादी/कार्यशील पूंजी ऋण की राशि
7.	ग	इक्विटी का ब्यौरा (यदि कोई हो)	:		
		नाम	राशि	पैन सं.	भुगतान का तरीका

7.	घ	गैर-जमानती ऋण का ब्यौरा (यदि कोई हो तो)	:
नाम	राशि	पैन सं.	भुगतान का तरीका

(फार्म: 1सी (एफ) के अनुसार ब्यौरा)

8. विद्युत :
- क. नई इकाई के मामले में :
- (i) मंजूर लोड :
- (ii) जुड़ा हुआ लोड :
- (iii) आन्तरिक विद्युत संयंत्र (यदि कोई हो) की क्षमता :
- ख. विस्तार वाली मौजूदा इकाईयों के मामले में :
- (i) विस्तार पूर्व मंजूर लोड :
- (ii) विस्तार पूर्व जुड़ा हुआ लोड :
- (iii) विस्तार के लिए अतिरिक्त लोड की मंजूरी :
- (iv) विस्तार के लिए अतिरिक्त जुड़ा हुआ लोड :
- (v) आन्तरिक विद्युत संयंत्र (यदि कोई हो) की क्षमता :
8. भूमि और भवन का ब्यौरा :
- क. भूमि :
- (क) स्वयं की भूमि :
- (i) भूमि क्षेत्र, राजस्व गांव, डाग संख्या व पट्टा संख्या :
- (ii) क्रय की तारीख :
- (iii) पंजीकरण की तारीख :
- (ख) सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित भूमि :
- (i) आवंटन/करार की तारीख :
- (ii) कब्जा लेने की तारीख :
- (ग) पट्टे पर ली गई भूमि :
- (i) भूमि के पट्टे पर लेने की तारीख :
- (ii) पट्टा-अवधि :
- ख. भवन :
- (क) स्वयं का भवन/किराये का भवन स्वयं के :

भवन के मामले में निर्मित क्षेत्र

10. फार्म: 1सी(ए) के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी में :
निवेश का विवरण।

भाग-2: केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए
(लागू नहीं होने पर कृपया इस भाग को काट दें)

11. इकाई के उत्पादन का ब्यौरा :

क. नई इकाई के लिए :

क्र. सं.	उत्पाद (उत्पादों) का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता		गत वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन/वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से आज की तारीख तक (यदि कोई हो)		टिप्पणियां
		मात्रा	मूल्य (रूपए में)	मात्रा	मूल्य (रूपए में)	

ख. विस्तार वाली मौजूदा इकाईयों के लिए :

क्र. सं.	विस्तार पूर्व उत्पाद (उत्पादों) का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता		गत वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन/वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से आज की तारीख तक (यदि कोई हो)		टिप्पणियां
		मात्रा	मूल्य (रूपए में)	मात्रा	मूल्य (रूपए में)	

12. कच्चा माल :

क. नई इकाई के लिए :

क्र. सं.	कच्चे माल का नाम	वार्षिक जरूरत	
		मात्रा	मूल्य (रूपए में)

ख. विस्तार वाली मौजूदा इकाईयों के लिए :

क्र. सं.	कच्चे माल का नाम	विस्तार पूर्व वार्षिक अपेक्षा		विस्तार पश्चात् वार्षिक अपेक्षा	
		मात्रा	मूल्य (रूपए में)	मात्रा	मूल्य (रूपए में)

13. तैयार उत्पाद (उत्पादों) की बिक्री :

क. नई इकाई के लिए :

क्र. सं.	उत्पाद (उत्पादों) का नाम	गत वर्ष के दौरान/वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से बेचा गया उत्पाद		टिप्पणियां
		मात्रा	मूल्य (रूपए में)	

ख. विस्तार वाली मौजूदा इकाईयों के लिए :

क्र. सं.	उत्पाद (उत्पादों) का नाम	गत वर्ष के दौरान/विस्तार पूर्व वर्ष के दौरान बेचा गया उत्पाद		विस्तार के पश्चात् बेचा गया उत्पाद/प्रदान की गई सेवा	
		मात्रा	मूल्य (रूपए में)	मात्रा	मूल्य (रूपए में)

14. रोजगार सृजन

क्र.सं.	श्रेणी	नई इकाई के लिए	विस्तार वाली इकाई के लिए		
			विस्तार पूर्व	विस्तार पश्चात्	कुल
1	2	3	4	5	6
i.	प्रबन्धकीय				
ii.	पर्यवेक्षी स्टाफ				
iii.	कुशल कामगार				
iv.	अर्ध कुशल कामगार				
v.	अकुशल कामगार				
vi.	अन्य				
	कुल				

**भाग-III: केवल सेवा क्षेत्र के लिए
(लागू नहीं होने पर कृपया इस भाग को काट दें)**

15.	विवरण	नई इकाई	मौजूदा इकाई
क	दो सितारा श्रेणी से कम का होटल नहीं।		
(i)	होटल का स्थान		
(ii)	होटल की श्रेणी (कृपया प्रमाण-पत्र संलग्न करें)		
(iii)	वर्ग मीटर क्षेत्र		
(iv)	भवन की कुल लागत (रूपए में)		
(v)	अत्यावश्यक मदों की कुल लागत (सूची संलग्न करनी है) (रूपए में)		
(vi)	कमरों की संख्या तथा प्रत्येक किस्म के कमरे का वर्ग फीट में क्षेत्र		
(vii)	उपलब्ध करायी गई सुविधाएं/सुख-सुविधाएं (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग से कागज लगा दें)		
(viii)	क्या सम्बन्धित विभाग/एजेंसी द्वारा निर्धारित मानक/मानदण्ड पूरे किए गए हैं।		
ख	रज्जु मार्गों सहित साहसिक खेल और फरसत में खेते जाने वाले खेल		
(i)	रज्जु मार्ग लगाए जाने का स्थान		
(ii)	प्रथम बिन्दु से अन्तिम बिन्दु तक कुल दूरी (केवल रज्जु मार्ग के लिए लागू)		
(iii)	क्या इस्तेमाल किए गए/इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं?		
(iv)	रज्जु मार्ग लगाए जाने के लिए नियुक्त/नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित परामर्शदाता का नाम व पता		
(v)	क्या परामर्शदाता के पास रज्जु मार्ग लगाने का व्यापक अनुभव है। यदि हां, तो कम से कम दो जगहों का ब्यौरा दें।		
(vi)	सिविल निर्माण कार्य की कुल लागत (रूपए में)		
(vii)	लगाए गए/लगाए जाने वाले आवश्यक मदों की कुल लागत (कृपया अलग कागज लगा दें) (रूपए में)		
16.	इकाई में रोजगार की स्थिति		
क्र. सं.	श्रेणी	नई इकाई के लिए	विस्तार वाली इकाई के लिए
			विस्तार पूर्व
			विस्तार पश्चात्
			कुल

1	2	3	4	5	6
(i)	प्रबन्धकीय				
(ii)	पर्यवेक्षी				
(iii)	कुशल				
(iv)	अर्धकुशल				
(v)	अकुशल				
(vi)	अन्य				
	कुल				

भाग-IV

17. बैंक खाता संख्या तथा उस बैंक का नाम.....जिसमें राज सहायता राशि जमा करानी है।

18. मैं/हम.....घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्यौरा/विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा इस दावे के सम्बन्ध में दिया गया कोई विवरण यदि गलत अथवा झूठा पाया जाता है, तो सरकार द्वारा प्रदान की गई राज सहायता मेरे/हमारे द्वारा सरकार को लौटा दी जाएगी।

स्थान:

तारीख:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/इकाई के सम्बन्ध में स्थिति

इकाई:

मोहर:

फार्म सं.: 1सी(ए)
संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश का विवरण
(दावा आवेदन फार्म के कालम-10 में की गई अपेक्षा के अनुसार)

1		प्रत्येक माल-प्रेषण आदि द्वारा शामिल किए गए संयंत्र एवं मशीनरी का नाम।
2		जिससे खरीद की गई अथवा क्रयादेश दिए गए उस फर्म का नाम व पता।
3	क	क्रयादेश देने तथा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में फर्म का आदेश क्रमांक एवं भुगतान की गई तथा प्राप्त की गई अग्रिम राशि की तारीख।
	ख	मशीनरी प्रेषण की तारीख।
	i.	जिस स्टेशन से आयी।
	ii.	जिस स्टेशन पर पहुंची।
	iii.	परिवहन का तरीका।
	iv.	प्रेषण दस्तावेज का ब्यौरा।
4		फैक्ट्री स्थल पर मशीनरी पहुंचने की तारीख।
5	क	आपूर्तिकर्ता की बिल संख्या व तारीख।
	ख	करों आदि तथा अग्रिम राशि (यदि कोई हो तो) सहित बिलों के अनुसार मशीनरी की कुल लागत।
	ग	मशीनरी आपूर्तिकर्ता को भुगतान का ब्यौरा।
	(i)	भुगतान का तारीख।
	(ii)	भुगतान का तरीका (चैक/बैंक ड्राफ्ट सं. व तारीख)।
	(iii)	रसीद संख्या व तारीख।
6	क	उस वाहक का नाम व पूरा पता जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीनरी प्रेषित की गई थी।
	ख	मशीनरी ढुलाई का भाड़ा।
	ग	मशीनरी वाहक से भाड़े की रसीद।
	घ	भुगतान किए गए विलम्ब-शुल्क (यदि हो तो) विलम्ब-शुल्क के भुगतान के कारणों का उल्लेख किया जाए।
7	क	परिवहन में जोखिम को कवर करने हेतु प्रेषण का बीमा करने वाली बीमा कम्पनी का नाम व पता।
	ख	बीमित राशि।
	ग	भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम (यदि कोई हो)।
8		मशीनरी, भाड़ा, विलम्ब-शुल्क तथा बीमा के लिए लागत के लिए भुगतान की गई कुल राशि।
9		वित्त के श्रोत (कृपया उल्लेख करें)।
10		फैक्ट्री स्थल पर मशीनरी स्थापित करने की तारीख।
11		मशीनरी चालू होने की तारीख।

इकाई की तरफ से हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मूल बिलों तथा वाउचरों के साथ उपर्युक्त ब्यौरे की व्यक्तिगत रूप से जांच की है तथा उनको सभी तरह से ठीक पाया है तथा फार्म: 1सी(ए) में उल्लिखित मशीनरी को मैसर्स.....की फैक्ट्री में प्रचालन हेतु पहले ही स्थापित कर दिया गया है/स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तारीख:

प्रति हस्ताक्षरित:

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर
महाप्रबन्धक, डीआईसी

फार्म: 1सी(ए)(i)

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता दावों पर विचार करने के लिए आयोजित एसएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित भरकर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अग्रेषित किए जाने वाला प्रपत्र

(वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिए)

(रूपए लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वित्त पोषक एजेंसी (यों) का नाम	वित्त पोषक एजेंसी (यों) द्वारा मूल्यांकित लागत		जी.एम., डीआईसी द्वारा सिफारिश किए गए संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत	एसएलसी द्वारा सिफारिश किए गए संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत	एसएलसी द्वारा सिफारिश की गई राज सहायता की राशि
			संयंत्र एवं मशीनरी की लागत	कुल परियोजना लागत			

फार्म: 1सी(ए)(ii)

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता दावों पर विचार करने के लिए आयोजित एसएलसी की बैठक के कार्यवृत्त सहित भरकर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अग्रेषित किए जाने वाला प्रपत्र

(रूपए लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	एचपीएसआईडीसीद/एसआईडीसीयूएल अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार के द्वारा नामित की गई एजेंसी द्वारा मूल्यांकित लागत		जी.एम., डीआईसी द्वारा सिफारिश किए गए संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत	एसएलसी द्वारा सिफारिश किए गए संयंत्र एवं मशीनरी की पात्र लागत	एसएलसी द्वारा सिफारिश की गई राज सहायता की राशि
		संयंत्र एवं मशीनरी की लागत	कुल परियोजना लागत			

फार्म: 1सी(ए)(iii)

(दिनांक..... को आयोजित एसएलसी बैठक के कार्यवृत्त का अनुबन्ध.....)

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता के लिए पात्र समझे गए संयंत्र एवं मशीनरी की मदों/संघटकों की विस्तृत सूची

इकाई का नाम—

विस्तार वाली इकाई/मौजूदा इकाई का नाम—

क्र. सं.	परियोजना को सहायता दे रही वित्तीय संस्थान/स्वतंत्र एजेंसी (स्व: वित्त पोषित परियोजना के मामले में) द्वारा यथा मूल्यांकित		एसएलसी द्वारा हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए सीसीआईएसएस, 2013 के तहत राज सहायता के लिए पात्र समझे गए अनुसार		
	संयंत्र एवं मशीनरी की मदें/संघटक	लागत (रूपए लाख में)	संयंत्र एवं मशीनरी की मद/संघटक	लागत (रूपए लाख में)	वित्तीय संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट से अन्तर (यदि कोई हो) के कारण
	कुल				

फार्म: 1सी (i)

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत पूंजी निवेश राज सहायता दावों के लिए आवेदन फार्म सहित प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतियां

1. इकाई का गठन

(क) प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में

- i कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ii संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- iii निदेशकों के नाम एवं पता उनकी पैन सं. सहित।

(ख) साझेदारी वाली इकाई के मामले में

- i साझेदारी विलेख।
- ii सामान्य मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी)।
- iii साझेदारों का नाम एवं पता उनकी पैन सं. सहित।

(ग) सहकारी समिति के मामले में

- i सहकारी समिति के संयुक्त पंजीयक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ii संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- iii इकाई के पंजीकरण के लिए आम सभा का संकल्प।

2. पंजीकरण

क. प्रस्तावित/नई इकाई के मामले में।

उद्यमी ज्ञापन भाग-1 एवं भाग-2/आईईएम/एलओआई/आईएल (जहां लागू हो)।

ii विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के मामले में।

पीएमटी पंजीकरण/उद्यमी ज्ञापन भाग-2/आईईएम/एलओआई/आईएल (जहां लागू हो)।

3. भूमि एवं भवन

क. स्वयं की भूमि के मामले में

- i खरीद विलेख/उपहार विलेख/स्वामित्व साबित करने वाला अन्य कोई दस्तावेजे।
- ii अद्यतन नॉन-इन्कम्बेंट सर्टिफिकेट।
- iii जमाबन्दी प्रति एवं ट्रेस मैप।

ख. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक भूमि के मामले में

- i करार विलेख।
- ii अद्यतन किराया भुगतान रसीद।

ग. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक शेड के मामले में

- i करार विलेख।
- ii अद्यतन किराया भुगतान रसीद।

घ. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक शेड के मामले में पट्टा विलेख करार।

ङ. सरकारी भूमि/सरकार द्वारा आवंटित प्लॉट के मामले में

i आवंटन पत्र।

ii प्रीमियम भुगतान रसीद।

4. फार्म: 1सी(ए) के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण।
5. सभी बिलों, वाउचरों एवं संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण।
6. फार्म: 1सी बी (i)/फार्म: 1सी बी (ii) के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अचल पूंजी निवेश का प्रमाण-पत्र।
7. फार्म: 1सी (डी) द्वारा संवितरण से सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक से प्रमाण-पत्र।
8. मियादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से मंजूरी पत्र।
9. फार्म: 1सी (एफ) के अनुसार वित्त स्रोत के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र।
10. फार्म: 1सी (जी) (i)/फार्म: 1सी (जी) (ii) सिविल निर्माण सम्बन्धी पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाण-पत्र।
11. परियोजना रिपोर्ट।
12. राज्य विद्युत बोर्ड/सक्षम प्राधिकरण/सक्षम विभाग से विद्युत मंजूरी पत्र एवं प्रथम बिल।
13. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
14. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति।
15. कच्चे माल की खरीद का प्रथम बिल (बिलों)/धन प्राप्ति रसीद।
16. तैयार उत्पाद (उत्पादों) की प्रथम बिक्री/दी गई सेवा के लिए चालान।
17. फार्म: 1सी (सी) के अनुसार शपथ-पत्र।
18. कर्मचारियों की सूची, नाम, पता एवं पदनाम के साथ।
19. पिछले तीन लेखा वर्षों (विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों के मामले में) के लिए तुलन-पत्र।
20. चाय फैक्ट्री के मामले में चाय बोर्ड पंजीकरण।
21. हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2013 के तहत डीआईसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
22. निदेशकों/मालिकों/साझीदार का पैन कार्ड।
23. बिक्री कर/वैट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंजूरी प्रमाण-पत्र।
24. सम्बन्धित विभाग (सेवा क्षेत्र की इकाइयों के मामले में) से यथा लागू कार्य/प्रचालन की शुरुआत की तारीख को दर्शाते हुए इकाई के कार्यात्मक/प्रचालात्मक होने का प्रमाण-पत्र।
25. परियोजना की लागत (स्व: वित्त पोषित इकाइयों के मामले में) के ब्यौरे की जांच सम्बन्धी एचपीएसआईडीसी/उएसआईडीसीयूएल की रिपोर्ट।
26. कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल के निदेश के अनुसार अपेक्षित हो।

फार्म 1सी(बी)(i)
पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र
(नई इकाई के लिए)

चार्टर्ड एकाउन्टेंट का नाम:

मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....(स्थान सहित इकाई का नाम) नेसे.....तक की अवधि के लिए इकाई द्वारा.....विनिर्माण/दी गई सेवा के लिए अपनी इकाई में पूंजी निवेश किया है।

क्र. सं.	अचल परिसम्पत्तियां निवेश की मद/मर्दे	मूल्य रूप में
1.	खरीद, मूल्य, पंजीकरण आदि सहित भूमि की लागत	
2.	चारदीवारी, पहुंच-सड़क, पुलिया/पुल, गोदाम, श्रमिकों के लिए निवास स्थान आदि (कृपया उल्लेख करें) सहित भूमि के विकास की लागत	
3.	भवन की लागत	
	क. फैक्ट्री भवन/नर्सिंग होम/होटल आदि ख. कार्यालय भवन ग. वास्तुकार शुल्क/प्राक्कलन आदि को तैयार करने के लिए शुल्क	
4.	संयंत्र एवं मशीनरी की लागत	
5.	सहायक सामग्री	
6.	बिजली लगाना	
7.	चढ़ाने, उतारने, परिवहन, निर्माण खर्च, बीमा आदि	
8.	प्रचालन पूर्व प्रारम्भिक व्यय को पूंजीकृत किया जाना	
9.	विविध अचल परिसम्पत्तियां/अनिवार्य मर्दे आदि	
	कुल	

मैं/हमने इकाई के लेखा बहियों, बीजक आदि को जांच लिया है और प्रमाणित किया जाता है कि जांच की गई एवं प्रमाणित की गई उक्त सूचना सही है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त मर्दों के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है और इकाई की बहियों में इनके लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

दिनांक:

स्थान:

चार्टर्ड एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर
पंजीकरण संख्या एवं मोहर

फार्म 1सी(बी)(ii)
पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र
(विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के लिए)

चार्टर्ड एकाउन्टेंट का नाम:

मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....(स्थान सहित इकाई का नाम) नेसे.....तक विस्तार कार्यक्रम के लिए अपनी इकाई में पूंजी निवेश किया है। यह इकाई.....के उत्पादन में लगी हुई है और उसने दिनांक.....(तारीख) को विस्तार के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(आंकड़े: मूल्य रूप में)

क्र. सं.	अचल परिसम्पत्तियां निवेश की मद/मदें	विस्तार पूर्व निवेशसे..... तक की अवधि के दौरान किया गया अतिरिक्त निवेश	कुल पूंजी निवेश
1.	खरीद, मूल्य, पंजीकरण आदि सहित भूमि की लागत			
2.	चारदीवारी, पहुंच-सड़क, पुलिया/पुल, गोदाम, श्रमिकों के लिए निवास स्थान आदि (कृपया स्पष्ट करें) सहित भूमि के विकास की लागत			
3.	भवन की लागत			
	क. फैक्ट्री भवन/नर्सिंग होम/होटल आदि ख. कार्यालय भवन ग. वास्तुकार शुल्क/प्राक्कलन आदि को तैयार करने के लिए शुल्क			
4.	संयंत्र एवं मशीनरी की लागत			
5.	सहायक सामग्री			
6.	बिजली लगाना			
7.	चढ़ाने, उतारने, परिवहन, निर्माण खर्च, बीमा आदि			

8.	प्रचालन पूर्व प्रारम्भिक व्यय को पूंजीकृत किया जाना			
9.	विविध अचल परिसम्पत्तियां/अनिवार्य मदें आदि			
	कुल			

हमने इकाई के लेखा बहियों, बीजक आदि को जांच लिया है और प्रमाणित किया जाता है कि जांच की गई एवं प्रमाणित की गई उक्त सूचना सही है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त मदों के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है और इकाई की बहियों में इनके लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

दिनांक:

स्थान:

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर
पंजीकरण संख्या एवं मोहर

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... श्री.....
.....आयु.....वर्ष.....व्यवसाय.....सत्यनिष्ठा से
घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ:-

1. मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं जिला.....में ग्राम.....पोस्ट.....
.....थाना.....का स्थायी निवासी हूँ।
2. मैं मैसर्स.....का मालिक/प्रबन्ध साझेदार/प्रबन्ध
निदेशक/निदेशक/अध्यक्ष हूँ और उक्त इकाई की भूमि/भवन/संयंत्र एवं मशीनरी
का मालिक हूँ जिनका औद्योगिक क्रियाकलाप..... है।
3. हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत
राज सहायता के लिए दावा आवेदन में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे वास्तव में उसी तरह के
हैं जो जिला.....में.....स्थित मैसर्स....
.....के रूप में जानी जाती इकाई के सम्बन्ध में
आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदन फार्म में उल्लिखित मदों के लिए
मैंने केन्द्र/राज्य सरकार/संगठन के तहत कोई राज सहायता/अनुदान नहीं प्राप्त
किया है।
4. आवेदन फार्म और/अथवा राज सहायता के लिए आवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए
गए ब्यौरे मेरी सर्वाधिक जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं और यदि किसी मामले
में कोई ब्यौरा झूठा पाया जाता है अथवा अनिवार्य तथ्यों की गलतबयानी/छिपाया
जाता है, तो मैं भूमि कानूनों के तहत दण्ड का भागीदार होऊंगा।
5. मैं श्री/श्रीमती.....उपर्युक्त का अभिसाक्षी एतद्वारा सत्यनिष्ठा से
घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के
अनुसार सही एवं सत्य है।

मेरे द्वारा पहचान की गई:

हस्ताक्षर
(वकील)

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी

मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ कि श्री/श्रीमती.....की.....
तारीख को वकील श्री/श्रीमती.....द्वारा पहचान की गई है।

मजिस्ट्रेट
मोहर

फार्म सं.: 1सी (डी)
वित्तीय संस्था/बैंक का प्रमाण-पत्र

(प्रमाण-पत्र बैंक/वित्तीय संस्था के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स.....को दिनांक.....
के पत्र सं.....के तहत मंजूर.....रूपए की राशि
इस तारीख तक संवितरित कर दी गई है, जो नीचे दी गई है:

1.तक पूर्व में संवितरित की गई ऋण राशि रूपए
 2. नीचे दी गई मदों के लिए आज की तारीख तक संवितरित की गई कुल राशि:
 - i. भूमि रूपए
 - ii. भवन (आवासीय मकान को छोड़कर) रूपए
 - iii. संयंत्र एवं मशीनरी रूपए
 - iv. अन्य परिसम्पत्तियां: उपकरण, जिग्स, डाईज एवं मॉल्डस तथा गुड्स रूपए
कैरियर
 - v. अन्य अनिवार्य मदें रूपए
- कुल रूपए**

बैंक/वित्तीय संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर एवं तारीख

फार्म सं.: 1सी (ई)

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता के अनुदान के लिए जांच रिपोर्ट

- 1 क. जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम
ख. आवेदन की प्राप्ति की तारीख
ग. इकाई का प्रत्यक्ष सत्यापन
- 2 क. इकाई का नाम
ख. दूरभाष सं. सहित फ़ैक्ट्री का पता (यदि कोई हो)
ग. दूरभाष/मोबाइल सं. (यदि कोई हो) सहित कार्यालय का पता
घ. पंजीकृत मुख्यालय (यदि उपर्युक्त से ख अलग है तो)
- 3 क. इकाई का गठन (कृपया स्पष्ट करें कि क्या स्वामित्व/साझेदार/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी/सहकारी समिति है)
ख. मालिक/साझेदार/शासी बोर्ड के निदेशकों/सहकारी समिति के सचिव एवं अध्यक्ष के नाम, पते
ग. कम्पनी अधिनियम के तहत साझेदार फर्म/सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण की तारीख एवं संख्या
घ. कम्पनी का पंजीकृत मुख्यालय (क्या प्रा. अथवा लि. कम्पनियों पर ध्यान दिए बिना कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है)
- 4 क. उद्यम पंजीकरण
 - i उद्यमी ज्ञापन की पावती (ई.एम.) भाग-1 सं. एवं तारीख
 - ii उद्यमी ज्ञापन की पावती (ई.एम.) भाग-2 सं. एवं तारीख
 - iii औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की पावती सं. एवं तारीख
 - iv मौजूदा इकाई के मामले में स्थायी

- पंजीकरण संख्या
- v चाय बोर्ड पंजीकरण (यदि लागू हो)
- vi फ़ैक्ट्री पंजीकरण
- vii सम्बन्धित विभाग (सेवा क्षेत्र इकाईयों के मामले में) से इकाई के कार्यात्मक/प्रचालात्मक हो जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- 5 सीसीआईएसएस, 2013 के तहत पंजीकरण की सं. एवं तारीख
- 6 क्या प्रस्तावित इकाई नई है अथवा विस्तार करने वाली एक मौजूदा इकाई
- क. नई इकाई के मामले में
- i उत्पादन/प्रचालन की प्रस्तावित तारीख
- ii वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
- ख. मौजूदा इकाई के मामले में
- i विस्तार से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
- ii विस्तार के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख
- 7 इकाई की भूमि एवं भवन का ब्यौरा
- क. भूमि
- i स्पष्ट करें कि क्या भूमि स्वयं की है/पट्टे पर है। सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित है।
- ii यदि भूमि स्वयं की है
- क. स्वामित्व का प्रकार स्पष्ट करें जैसे कि पैतृक, उपहार अथवा खरीदी गई आदि
- ख. कुल क्षेत्र
- ग. स्थान
- घ. डाग सं. पट्टा सं., राजस्व ग्राम एवं मौजा
- ङ. मूल्य सहित भूमि की खरीद की तारीख तथा भूमि के कब्जा लेने की तारीख
- iii यदि भूमि पट्टे पर है
- क. भूमि मालिक का नाम एवं पता
- ख. करार की तारीख और उसका क्षेत्र
- ग. पट्टा करार की अवधि
- iv यदि भूमि सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा

आवंटित है

- क. एजेन्सी का नाम
ख. करार की तारीख
ग. भुगतान किया गया वार्षिक किराया/प्रीमियम
घ. कुल आवंटित क्षेत्र एवं उसका स्थान
ख. भवन का ब्यौरा
I क्या फ़ैक्ट्री भवन का निर्माण किया गया है, यदि हां तो
क. स्थानीय प्राधिकरण से निर्माण की अनुमति
ख. सिविल एवं इलेक्ट्रीकल वर्क्स को शुरू करने तथा पूर्ण करने की तारीख
ग. निर्माणाधीन कुल क्षेत्र
घ. कुल अनुमानित लागत
II यदि फ़ैक्ट्री शेड सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित है
क. एजेन्सी का नाम
ख. फ़ैक्ट्री शेड का कुल क्षेत्र और आवंटित खुला स्थान
ग. शेड के लिए निर्धारित वार्षिक किराया
घ. करार की तारीख तथा शेड के कब्जे की तारीख
III क्या परिसर किराए पर है
क. परिसर/परिसरों के मालिक का नाम एवं पता
ख. कुल क्षेत्र एवं स्थान
ग. करार की तारीख
घ. किराया करार की अवधि
ङ. उसके लिए निर्धारित वार्षिक किराया
अचल पूंजी निवेश

8

विवरण

नई इकाई विस्तार/आधुनिकीकरण करने वाली मौजूदा
(वास्तविक इकाई (वास्तविक निवेश रूप में)
निवेश विस्तार/ विस्तार/ विस्तार/
रूप में) आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण
पूर्व के लिए निवेश के बाद कुल
निवेश

- क. भूमि
- ख. स्थल का विकास
- ग. भवन
 - i. कार्यालय भवन
 - ii. फैक्ट्री भवन
- घ. संयंत्र तथा मशीनरी /
संघटक / मद
- ङ. सहायक सामग्री
- च. संस्थापन एवं विद्युतीकरण
- छ. प्रारम्भिक एवं प्रचालन-पूर्व
खर्च
- छ. विविध अचल परिसम्पत्तियां

कुल

- 9 वित्त के साधन**
- i. प्रवर्तकों का अंशदान
 - ii. इक्विटी
 - iii. वित्तीय संस्था से मियादी ऋण
 - iv. गैर-जमानती ऋण
 - v. आंतरिक संसाधन
 - vi. कोई अन्य स्रोत, कृपया स्पष्ट करें
- कुल
- 10 वित्तीय संस्था/बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता**
- क. बैंक का नाम
 - ख. अचल पूंजी निवेश के लिए वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि और मंजूरी की तिथि (नई इकाई)
 - ग. कायशील पूंजी के लिए वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि और मंजूरी की तिथि (नई इकाई)
 - घ. वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा संवितरित राशि (नई इकाई)

- ड. अचल पूंजी निवेश के लिए वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा मंजूरी की गई राशि और मंजूरी की तारीख (विस्तार इकाई)
- च. विस्तार के लिए वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा
- 11 विद्युत
- क. नई इकाईयों के लिए विद्युत मंजूरी (किलोवाट में) की तारीख और मात्रा
- ख. विस्तार पूर्व-मौजूदा इकाई के लिए विद्युत मंजूरी (किलोवाट में) की तारीख और मात्रा
- ग. विस्तार इकाई के लिए-अतिरिक्त विद्युत मंजूरी (किलोवाट में) की मात्रा और मंजूरी की तारीख
- घ. किलोवाट में विस्तार के बाद कुल मंजूरी एवं सम्बद्ध लोड
- 12 उत्पादन की मद/मदें/दी गई सेवा
- 13 प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल
- 14 कच्चे माल के स्रोत
- 15 क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ सहमति प्राप्त कर ली है
- 16 क्या स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है
- 17 क्या इकाई की कोई फ्रैन्चाइज है अथवा किसी इकाई से विपणन गठबंधन
- 18 इकाई में रोजगार स्थिति
- 19 किसी अन्य पैकेज के तहत प्राप्त केन्द्रीय पूंजी राज सहायता की राशि

जांच अधिकारी की टिप्पणियां

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दावाकर्ता..... (इकाई का नाम) द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरों और इस दावे के साथ प्रस्तुत सभी अनुलग्नक/संगत दस्तावेज की जांच कर ली है तथा ये सही पाए गए हैं एवं इन पर कोई संदेह नहीं है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी दिनांक.....को इकाई का दौरा किया है और इकाई से सम्बन्धित भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी/संघटक/मदों की जांच कर ली है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये ब्यौरे राज सहायता के लिए दावा आवेदन में दिए गए ब्यौरे के समान हैं। मैंने भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी/संघटक/मद के लिए आवेदन में उल्लिखित मूल्यों की भी मूल दस्तावेजों के साथ जांच कर ली है और उन्हें सही पाया है।

(क) सीसीआईएसएस के लिए पात्र अचल पूंजी निवेश :

(ख) सीसीआईएसएस की सिफारिश की गई राशि :

हस्ताक्षर एवं मोहर

महाप्रबन्धक की टिप्पणियां

हस्ताक्षर एवं मोहर

फार्म सं.: 1सी (एफ)
वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र

मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....
(स्थान सहित इकाई का नाम) ने इकाई द्वारा विनिर्माण/दी गई सेवा के लिए.....से.....
.....तक की अवधि के दौरान विस्तार के लिए उनकी प्रस्तावित/नई इकाई/मौजूदा
इकाई में.....रुपए का निम्नलिखित अचल पूंजी निवेश किया है। मैं/हमने इकाई
की लेखा बहियों की जांच कर ली है और यह पाया है कि इकाई ने निम्नलिखित स्रोतों से
अचल पूंजी निवेश किया है:

(क) प्रवर्तक अंशदान	रुपए
(ख) इक्विटी	रुपए
(ग) वित्तीय संस्था/बैंक से मियादी ऋण	रुपए
(घ) गैर-जमानती ऋण	रुपए
(ङ) आंतरिक संसाधन	रुपए
(च) कोई अन्य स्रोत (कृपया उल्लेख करें)	रुपए
कुल	रुपए

तारीख:

स्थान:

चार्टर्ड एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर
पंजीकरण सं. एवं मोहर

फार्म: 1 सी(जी)(i)

सिविल निर्माण सम्बन्धी पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाण-पत्र

(इकाई के लिए)
(सेवा क्षेत्र के लिए)

वास्तुकार का नाम:

मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....
(स्थान सहित इकाई का नाम) ने अपनी इकाई के लिए.....रुपए की
अनुमानित लागत परसे.....तक की अवधि के लिए अपनी
इकाई में सिविल निर्माण के लिए निवेश किया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अचल परिसम्पत्तियों की मद	रूपए में निवेश मूल्य
1.	खरीद मूल्य, पंजीकरण आदि सहित भूमि की लागत	
2.	भूमि विकास की लागत	
3.	चारदीवारी, पुलिया/पुल, पुश्ता दीवार की लागत	
4.	जमीन भराव, ब्लैक टैपिंग (जो भी लागू हो) की लागत सहित पहुंच सड़क की लागत	
5.	इंटीरियर और विद्युतीकरण सहित मुख्य भवन के निर्माण की लागत	
6.	विद्युतीकरण की लागत	
7.	गोदाम, कामगारों के लिए आवास के निर्माण की लागत	
8.	वास्तुकार शुल्क/अनुमान आदि की तैयारी के लिए शुल्क की लागत	
9.	मिट्टी हटाने के उपकरणों को किराये पर लेने के लिए लागत	
10.	रंग रोगन, साज-सज्जा आदि के लिए लागत	
11.	श्रम भुगतान, परिवहन, सामान चढ़ाने-उतारने, संस्थापना आदि के लिए लागत	
12.	बांध, जलाशय के निर्माण के लिए लागत	
13.	बिजली घर के निर्माण के लिए लागत	
14.	कोई अन्य सिविल निर्माण, कृपया उल्लेख करें।	
	कुल	

मैं/हमने इकाई के खातों, बीजाकें/रजिस्ट्रों आदि को जांच लिया है और प्रमाणित किया जाता है कि जांच की गई एवं प्रमाणित की गई उक्त सूचना सही है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त सभी मदों के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है और इकाई की बहियों में इनके लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

दिनांक:

स्थान:

वास्तुकार के हस्ताक्षर
मोहर एवं तारीख

फार्म 1सी(जी)(ii)

सिविल निर्माण सम्बन्धी पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाण-पत्र
विस्तार वाली मौजूदा इकाई के लिए
(सेवा क्षेत्र के लिए लागू)

वास्तुकार का नाम:

मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स.....(स्थान सहित इकाई का नाम) ने अपनी इकाई के लिएरूप की अनुमानित लागत परसे.....तक विस्तार कार्यक्रम के लिए अपनी इकाई में सिविल निर्माण के लिए पूंजी निवेश किया है। यह इकाई.....में लगी हुई है और इसने दिनांक..... को विस्तार के बाद कार्य शुरू कर दिया है।

क्र. सं.	अचल परिसम्पत्तियां की मद	विस्तार पूर्व निवेशसे..... तक की अवधि के दौरान किया गया अतिरिक्त निवेश	कुल पूंजी निवेश
1.	खरीद, मूल्य, पंजीकरण आदि सहित भूमि की लागत			
2.	भूमि विकास की लागत			
3.	चारदीवारी, पुलिया/पुल, पुश्ता दीवार की लागत			
4.	जमीन भराव, ब्लैक टैपिंग (जो भी लागू हो) की लागत सहित पहुंच सड़क की लागत			
5.	मुख्य भवन के भीतरी भाग के निर्माण और विद्युतीकरण की लागत			
6.	विद्युतीकरण की लागत			
7.	गोदाम, कामगारों के लिए आवास के निर्माण की लागत			
8.	वास्तुकार शुल्क/अनुमान आदि तैयार करने के लिए शुल्क की लागत			
9.	मिट्टी हटाने के उपकरणों को किराये पर			

	लेने के लिए लागत			
10.	रंग रोगन, साज-सज्जा आदि के लिए लागत			
11.	श्रम भुगतान, परिवहन, सामान चढ़ाने और उतारने, संस्थापना आदि के लिए लागत			
12.	बांध, जलाधय के निर्माण के लिए लागत			
13.	बिजली घर के निर्माण के लिए लागत			
14.	कोई अन्य सिविल निर्माण, कृपया उल्लेख करें।			
	कुल			

हमने इकाई के खातों/रजिस्ट्रों आदि को जांच लिया है और प्रमाणित किया जाता है कि जांच की गई एवं प्रमाणित की गई उक्त सूचना सही है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त मदों के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया है और इकाई की बहियों में इनके लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

दिनांक:

स्थान:

वास्तुकार के हस्ताक्षर
मोहर एवं तारीख

निगरानी फार्म:1

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के लिए पैकेज के तहत राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य-सूची टिप्पणों के लिए प्रोफार्मा

1. आवेदक इकाई का नाम और पता :
2. औद्योगिक इकाई का स्थान :
3. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, 2012 के लिए विशेष पैकेज-II, 2013 के अनुसार विनिर्माण/सेवा क्षेत्र क्रियाकलापों का नाम :
4. कम्पनी/सहकारी समिति/साझेदारी के मामले में पंजीकरण की तारीख :
 - (क) क्या नई/मौजूदा इकाई विस्ताराधीन है :
 - (ख) नई इकाई के मामले में उत्पादन शुरू करने की तारीख :
 - (ग) विस्ताराधीन इकाई के मामले में विस्तार के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख :
5. पीएमटी पंजीकरण सं. तारीख सहित भाग-2 के उद्यमी ज्ञापन की पावती सं. तारीख सहित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन/औद्योगिक लाइसेंस सं. तथा तारीख (जहां लागू है) :
6. सृजित रोजगार :
7. उत्पादित की जाने वाली उत्पादन के मर्दे/सेवाएं :

क्र. मर्द	वार्षिक संस्थापित क्षमता	मूल्य (रूपए में)
सं.		
1.		
2.		
3.		
4.		
8. कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन राशि सहित परियोजना लागत :
9. वित्तीय संस्था/बैंक का/के नाम :
10. वित्त के साधन (रूपए में) :
 - क. प्रवर्तक का अंशदान/इक्विटी :
 - ख. बैंक/वित्तीय संस्था के ऋण :

- ग. गैर-जमानती ऋण :
- घ. सरकारी इक्विटी/मार्जिन राशि :
11. अचल पूंजी निवेश का विवरण (रूप में) नई इकाई विस्ताराधीन मौजूदा इकाई
के लिए (किया गया वास्तविक निवेश) विस्तार पूर्व विस्तार के बाद
- क भूमि
- ख भवन
- ग संयंत्र एवं मशीनरी
- घ विद्युत संस्थापना
- ङ प्रचालन पूर्व प्रारम्भिक व्यय के लिए पूंजी दिया जाना
- च अन्य विविध अचल परिसम्पत्तियां
- कुल
12. सिफारिश
- (i) केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता (रू.):

एसएलसी के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति की दिनांक.....कोमें हुई
बैठक का निर्णय

एसएलसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

निगरानी फार्म: 2

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए सीसीआईएसएस, 2012 के तहत राज सहायता प्रदान करने के लिए एसएलसी द्वारा एपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रोफार्मा

1. आवेदक इकाई का नाम और पता :
2. इकाई का क्रियाकलाप :
3. औद्योगिक इकाई का स्थान :
4. यदि कम्पनी/सहकारी समिति/साझेदार है तो :
पंजीकरण की तारीख
(क) क्या नई/मौजूदा विस्तार वाली इकाई है :
(ख) यदि नई इकाई है तो उत्पादन शुरू करने की तारीख :
(ग) यदि विस्तार वाली इकाई है तो विस्तार पश्चात् :
वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख :
5. पीएमटी पंजीकरण सं. तारीख सहित भाग-2 के उद्यमी :
ज्ञापन की पावती सं. तारीख सहित औद्योगिक उद्यमी :
ज्ञापन की पावती/औद्योगिक लाइसेंस सं. तथा तारीख :
(जहां लागू है)
6. सृजित रोजगार :
7. उत्पादन मर्दे/सेवायें :
8. उस वित्तीय संस्था/बैंक का नाम जिससे इकाई ने :
वित्तीय सहायता ली है
9. वित्त के साधन (रूप में) :
(क) प्रवर्तक अंशदान/इक्विटी :
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण :
(ग) गैर-जमानती ऋण :
(घ) सरकारी इक्विटी/मार्जिन राशि :
10. कुल अचल पूंजी निवेश (रूप में) :
11. भवन निर्माण/सिविल निर्माण में निवेश :
12. संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश (रूप में) :
(क) नई इकाई के लिए :
(ख) मौजूदा विस्ताराधीन इकाई के लिए :
13. अन्य अचल परिसम्पत्तियों/उपस्करों में निवेश (रूप में) :
14. केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता के तहत एसएलसी :

द्वारा अनुमोदित तथा संवितरण हेतु सिफारिश की गई
कुल राशि (रूपए)

15. सीसीआईएसएस, 2013 के तहत एसएलसी की संख्या :
एवं तारीख
16. बैंकर का नाम, पता और इकाई का खाता संख्या :

एसएलसी के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

निगरानी फार्म: 3
करार

प्रथम भाग.....सरकार की ओर से उद्योग निदेशक,
.अथवा उनके नामिती (इसके बाद इसे राज्य सरकार कहा गया है)।

द्वितीय भाग के.....को विनिर्माण/सेवाएं प्रदान करने के लिए.....
.....में स्थितपंजीकरण संख्या.....दिनांक.....फर्म पंजीकरण
सं.....दिनांक.....ईएम भाग-2/आईईएम पावती सं.....दिनांक.....
.....वाले कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत मैसर्स.....
.....की भागीदारी फर्म/सहकारी समिति/स्वामित्व प्रतिष्ठान/सम्बन्धित कम्पनी के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....के
बीच.....दिन.....तारीख को करार किया गया है।

जबकि

1. हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इकाई ने राज्य सरकार को एक आवेदन किया है।
2. इस दावे की जांच एवं छानबीन के बाद राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव संतुष्ट है तथा इस इकाई के दावे को.....हुई अपनी बैठक में एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत किया। एसएलसी ने केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना (सीसीआईएसएस), 2013 के दावे का अनुमोदन किया तथा भारत सरकार द्वारा नामित संवितरण एजेन्सी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी)/उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल) से..... (रूपये.....) केवल की राशि के संवितरण की सिफारिश की है।
3. इकाई के द्वारा भारतीय संविदा संधिनियम, 1872 की धारा 124 अध्याय VIII क्षतिपूर्ति एवं गारंटी तथा इस अधिनियम की धारा 126 के तहत इस अधिनियम की उक्त धारा में विनिर्दिष्ट मामले में.....राज्य सरकार के साथ एक करार करना अपेक्षित है।

अब एतद्वारा निम्नानुसार करार एवं घोषणा की जाती है:

1. इस इकाई को संवितरण के लिए नामित एजेन्सी एचपीएसआईडीसी/ एसआईडीसीयूएल द्वारा यह राज सहायता प्रदान की जाएगी।
2. यह इकाई अन्य सभी प्रभार, जो पंजीकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक है, वहन करेगी।
3. राज्य सरकार इस इकाई को इसके आगे निर्धारित शर्त पर यह राज सहायता राशि प्रदान करने के लिए एचपीएसआईडीसी/ एसआईडीसीयूएल को सलाह देगी, अर्थात्
4. (क) कि यह इकाई उसके उत्तराधिकारी तथा नियुक्त की गई इकाईयां इस योजना की शर्तों का पालन करेगी।
(ख) यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था/सम्बन्धित बैंक बाद में इस बात से संतुष्ट होता है कि इस इकाई को प्रदान की गई राज सहायता आवश्यक

तथ्य के तौर पर गलत सूचना के जरिए प्रदपान की गई है अथवा वह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू करने के बाद 5 (पांच) वर्ष के भीतर उत्पादन कार्य बन्द कर देती है, तो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल उस इकाई को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद सार्वजनिक निधि की सुरक्षा हेतु इस राशि को वापस करने के लिए कहेगी।

- (ग) यह इकाई केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था/सम्बन्धित बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना इस इकाई अथवा इसके किसी भाग का सीन परिवर्तन नहीं करेगी अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 5 वर्ष की अवधि में इसके कुल निर्धारित पूंजीगत निवेश के किसी महत्वपूर्ण भाग जिस पर राज सहायता प्रदान की गई है, को ज्यादा कम नहीं करेगी अथवा उसका निपटान नहीं करेगी।
- (घ) यह इकाई उत्पादन शुरू करने के बाद निरन्तर पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्य के बारे में प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित राज्य सरकार को अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (घ) यदि इकाई इसमें से किसी भी नियम की अवहेलना करती है, तो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस वितरित राज सहायता की राशि को वापस करने के लिए कहेगी तथा उसके बाद अनुमोदित एवं संवितरित अनुदान अथवा राज सहायता राशि निरर्थक अथवा प्रभावहीन हो जाएगी तथा इस इकाई के राज सहायता राशि से सम्बन्धित सभी अधिकार तुरन्त समाप्त हो जाएंगे।
- (च) एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल के द्वारा वितरित तथा एसएलसी के द्वारा दिनांक.....को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित और इस दिन.....तारीख को किए गए करार के अनुसार दो हजार.....(रूपए) राज सहायता राशि के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा दावे के सम्बन्ध में केवल.....राज्य के न्यायालयों के पास इसका न्यायाधिकार होगा।

इसकी गवाही में पक्षकारों को उनके हस्ताखरों के सामने उल्लिखित सम्बन्धित तारीखों को इस करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

इकाई के प्राधिकारी हस्ताक्षर

कम्पनी/फर्म की तारीख एवं मोहर

गवाह:

नाम पिता का नाम सहित पता

1.

2.

राज्य सरकार की ओर.....

उद्योग निदेशक.....

तारीख एवं मोहर

हस्ताक्षर

निगरानी फार्म: 4

इस इकाई के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाने वाले वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

(प्रत्येक वर्ष, 20 अप्रैल से पहले एक प्रति डीआईसी को तथा दूसरी प्रति उद्योग निदेशालय को भेजी जानी चाहिए)

1.	इकाई का नाम और पता, दूरभाष सं., ई-मेल पता, वेबसाइट िद	:	
2.	ईएम भाग-2 की पंजीकरण संख्या/पावती संख्या/आईईएम की पावती संख्या तथा तारीख	:	
3.	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख	:	
4.	यह विवरणी नामतः (i) केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता प्रस्तुत करने की तारीख तक एचपीएसआईडीसी / एसआईडीसीयूएल से प्राप्त राशि	:	
5.	क्या नई/विस्तार इकाई है	:	
6.	इस इकाई की उत्पादन मर्दें	:	
7.	इस इकाई में सृजित रोजगार क. राज सहायता लेने से पहले ख. राज सहायता लेने के बाद	:	
8.	क्या राज सहायता प्राप्त करने के बाद इकाई के द्वारा कोई विस्तार कार्यक्रम किया गया है	:	
9.	क्या नई इकाई ने अतिरिक्त अचल परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए इस राज सहायता राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है अथवा इस निधि को कार्यशील पूंजी में उपयाग कर रही है, कृपया बताएं	:	
10.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मात्रा तथा मूल्य के सहित तैयार उत्पाद की बिक्री	:	

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख और मोहर

निगरानी फार्म सं: 5
हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड पैकेज-II के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा

<p>इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपने दावे नियमानुसार समस्त दस्तावेज के साथ सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) को प्रस्तुत करने चाहिए।</p>

<p>इस दावे की जांच योजना दिशा निर्देशों के अनुसार डीआईसी स्तर पर की जाएगी। संस्थापित संयंत्र एवं मशीनरी के सम्बन्ध में इकाई की वास्तविक जांच डीआईसी के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा की जाएगी। महाप्रबन्धक, डीआईसी यह सुनिश्चित करेंगे कि इकाई के द्वारा दावे प्रस्तुत करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जानी चाहिए तथा इस दावे को अपनी सिफारिशों के साथ उद्योग निदेशालय को भेजा जाना चाहिए।</p>

<p>उद्योग निदेशालय प्रत्येक मामले को गौर से देखेगा और यह सत्यापन करेगा कि सम्बन्धित डीआईसी ने दावे की जांच नियमानुसार की है अथवा नहीं और एसएलसी की बैठक आयोजित करने के लिए कार्य सूची तैयार करेगा। एसएलसी की बैठक के बाद एसएलसी द्वारा अनुमोदित दावों के मंजूरी पत्र जारी करेगा तथा निधि जारी करने के लिए इन दावा फाइलों को नोडल एजेंसी (जेकेडीएफसी) को भेजेगा। सम्बन्धित डीआईसी से दावे प्राप्त होने के बाद उद्योग निदेशालय द्वारा कुल 90 दिनांक से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए, इस इकाई के द्वारा दावे प्रस्तुत करने को तारीख से कुल 150 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। एसएलसी को प्रस्तुत करते समय सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए।</p>

<p>नोडल एजेंसी उद्योग निदेशालय के द्वारा जारी किए गए मंजूरी पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा पहले जारी किए गए निधि उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ उद्योग निदेशालय के द्वारा जारी मंजूरी सूची के अनुसार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को निधि हेतु एक अनुरोध भेजेगी। इसी के साथ-साथ 10 प्रतिशत दावों की पूर्व लेखा परीक्षा की जाएगी।</p>

<p>नोडल एजेंसी के अनुरोध पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग इस मांग की जांच करेगा, यदि यह अनुरोध सही पाया जाता है, तो इस अनुरोध के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर निधि जारी करेगा।</p>

<p>भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के खाते में निधि जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नियमानुसार इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के जरिए यह नोडल एजेंसी इस इकाई के बैंक खाते में निधि वितरण करेगी।</p>

**SPECIAL PACKAGE OF INDUSTRIAL INCENTIVES FOR THE STATES OF
HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.**

**GENERAL OPERATIONAL GUIDELINES FOR REGISTRATION OF INDUSTRIAL
UNITS AND PROCEDURE FOR HANDLING SUBSIDY CLAIMS UNDER
CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY (CCIS) SCHEME, 2013 FOR
HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.**

1.	Industrial unit which wishes to claim subsidy under this Scheme should get registered (EM /IEM Part-I/Registration under the scheme – Form 1A & 1B) with the District Industries Centre (DIC) concerned, prior to the date of commencement of its commercial production for new units or undertaking substantial expansion for existing unit.	
2.	‘Substantial expansion’ means increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit by not less than twenty five percent for the purpose of expansion of capacity.	
3.	It may be ensured that no industrial unit should be registered for benefits under Special Package of Industrial Incentives Scheme if it is covered under Negative List of Industries provided in the Notification of the respective Schemes.	
4.	The claims for subsidy under the special package of incentives Scheme of Himachal Pradesh and Uttarakhand have to be submitted to the concerned DIC in the prescribed Application Forms {Form-1C along with documents as per check-list Form-1C(i)} within one year from the date of commencement of commercial production / operation.	
5.	This will include appraisal report of Bank/Financial Institution (in case of bank financed units) or appraisal report of the HPSIDC/SIDCUL or the agency nominated by the concerned State Government (in case of self-financed units).	
A ‘Deviation Statement’ in Form 1C(A)(i) or IC(A)(ii) respectively shall also have to be submitted along with the claim application.		
6.	Date of commencement of commercial production / operation would be determined from the date of filing EM or IEM Part-II as applicable.	
7.	The DIC must ensure that the claim Application Form for subsidy is complete in all respect and accompanied by all the requisite documents as per the ‘Check List’ appended herewith as Form-1C(i). Incomplete applications, without the requisite documents should not be considered under any circumstances.	
8.	The Subsidy under scheme should not be considered if the claim is sub-judice.	
9.	All transaction in respect of the cost of plant and machinery/project, as the case may be, must be through “A/c payee cheque” or “demand draft” or any other mode of bank transaction. payment in cash would not be considered eligible for computation of subsidy.	
10.	The DIC should invariably obtain a certificate to the effect that no cash payment has been included while recommending the subsidy amount of each eligible unit.	
11.	All expenses must be certified by the registered Chartered Accountant.	
12.	The cost of land shall not be taken into account for the purpose of determining the eligibility and quantum of subsidy under the scheme.	

13.	Subsidy under schemes shall not be provided on imported second hand capital goods. It would be certified by the Applicant that no claim has been made in respect of such goods.		
14.	The DIC must date-stamp each claim under signature of official concerned on each page of all the documents required as per the respective Check List appended therewith.		
15.	The authorized official of the DIC must visit the location of each and every unit and physically verify the existence and operation of the industrial unit/substantial expansion undertaken by the unit and submit a report in the prescribed Form-1C(E) and comments on the deviation report submitted by the unit.		
16.	The Director of Industries would designate an officer by post to certify the completeness of the documents forwarded by the DIC.		
17.	The Directorate of Industries (DI) should ensure that all claims are placed before the State Level Committee (SLC) within 150 (One Hundred Fifty) days from the date of receipt of the claims. In exceptional circumstances, if there is delay, then the reason for the same must be provided in writing by the concerned authorities of DI.		
18.	In case of Bank financed units, the bank shall certify the value of plant and machinery for the project. In case of self-financed units, both for service and manufacturing sector, the project would be appraised by HPSIDC / SIDCUL or by any other agency nominated by the concerned State Government after registration by the unit. HPSIDC / SIDCUL / agency nominated by the concerned State Government would also certify the value of plant and machinery eligible for subsidy.		
19.	Meeting of SLC must be held at least once in a quarter to avoid accumulation of cases pertaining to claims under the schemes.		
20.	A priority list should be maintained in respect of claims of units run by women entrepreneurs. Claim of such unit should be processed on fast track and their progress should be monitored by Directorate of Industries on a monthly basis.		
21.	The notice of the SLC meeting along with the detailed agenda note should be delivered to all concerned (including Gol nominee) at least fifteen working days before date of the meeting, failing which the meeting shall be adjourned. Representative of Financial Institutions must be invited in respect of units funded by them.		
22.	In case the subsidy amount is more than 30 lakh, the State Government must organize field visit of the unit, by a team consisting of one representative each from (a) State Government concerned (b) Financial Institution which assisted the unit, and (c) HPSIDC / SIDCUL. Detailed Appraisal Report by the bank would be the basis of deciding project cost.		
23.	The functions of the Field Visit Team shall be broadly as follows:- <ul style="list-style-type: none"> • To verify the physical availability of the Plant & Machinery in respect of which claim has been made by the industrial unit. • To ascertain whether the components/items of these Plant & Machinery in respect of which subsidy claimed by the industrial unit is as per the provisions of the scheme & subsequent clarifications issued from time to time. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • To invariably consider the Appraisal Report of the Financial Institution(s) which assisted the project of the Industrial Unit along with other relevant documents while assessing the quantum of the value of plant & machinery. • To comment on the 'Deviation Report' submitted by the unit. • To submit field visit report within 10 working days from the date of field visit. 	
24.	The field visit will take place before the SLC meeting. The report of the field visit team shall be a part of agenda of the SLC meeting.	
25.	<p>While recommending/approving a claim under the scheme, the SLC shall consider the following:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Physical Verification Report of the DIC • Assessment Report of Field Visit Team (must for claims above Rs.30 lakh. • The documents pertaining to the proof of existence of the industrial unit • Production figures of the unit • Detailed Project Report (DPR)/Techno-Economic Feasibility Report (TEFR) of the industrial unit • Whether payment for procuring/acquiring these Plant & Machinery has been made through A/c Payee Cheque/Drafts/NEFT/RTGS. • Appraisal Report of the Financial Institution(s) which had assisted the project of the Industrial unit. • 'Deviation Report' submitted by the unit with their claim application. • Clarifications on the eligible components of P&M provided by DIPP from time to time. • In addition to the above, SLC can also stipulate the requirement of any other documents/reports which in its opinion are essential for ascertaining the genuineness of the claims made by the industrial units. 	
26.	Detailed deliberations and justifications for recommending/approving/rejecting a particular claim shall be duly recorded in the minutes of the relevant SLC meeting. Any deviation from the items of P & M considered in the Appraisal Report of the Financing Institution(s)/HPSIDC/SIDCUL and in the Assessment Report of the technical team should be suitably explained / justified by the SLC.	
27.	The SLC in its recommendation should certify that the claim is in accordance / compliance to the scheme guidelines which includes eligible component of plant and machinery.	
28.	At least 10% of the claims shall be subject to post audit by HPSIDC / SIDCUL within one month from the date of issue of sanction letter by the Directorate of Industries.	
29.	The unit shall be required to furnish Annual Progress Report (APR) as per the prescribed format to the Directorate of Industries for five years after commencement of commercial production / operation.	
30.	The quantum of subsidy payable to an industrial unit should be worked out/calculated on the eligible components as laid down in the schemes and subsequent instruction/clarification issued by DIPP from time to time. In case of any doubt in this regard, the matter may be referred to	

	DIPP for clarification. The decision of DIPP will be final in this regard.		
31.	For disbursement of subsidy sanctioned by the Government of India to various eligible units, e-payment / RTGS / NEFT may be used by the issuing of payment advices to the bank for direct credit by electronic transfer to the specified bank account of the eligible unit by the HPSIDC/SIDCUL.		
32.	List of cases of claims passed / rejected / under objection DIC / SLC should be uploaded on the web site along with the reasons of rejection / objection /remarks etc.		
33.	The State Government will furnish a quarterly report to the Department of Industrial Policy & Promotion regarding units set up, investment made and employment generated.		
34.	The State Government will undertake IEC activities for entrepreneur awareness and promotion of the Scheme.		
35.	The State Government will also undertake six monthly reviews to monitor the implementation of the Scheme and to undertake suitable remedial measures.		
36.	In addition, the provisions under the respective Office Memorandum / Notifications issued from time to time by the Central Government shall be followed.		

CHECKLIST: CLAIM

Certified / attested photocopies of the documents to be submitted along with the application form for claiming Capital Investment subsidy under Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 for Himachal Pradesh and Uttarakhand.

1. Constitution of the unit
 - a. **In case of Private Limited / Public Limited company**
 - i. Registration Certificate under Companies Act
 - ii. Memorandum and Article of Association
 - iii. Name & Address of the Director with their PAN no
 - b. **In case of Partnership unit**
 - i. Deed of partnership
 - ii. General Power of Attorney
 - iii. Name & Address of the Partners with their PAN no
 - c. **In case of Co-operative Society**
 - i. Registration Certificate from the Jt. Register of Co-operative Society
 - ii. Article of Memorandum of Association
 - iii. Resolution of the general Body for registration of the unit.
2. **Registration**
 - a. In case of proposed/new unit
Entrepreneurs Memorandum Part I & Part II/IEM /LOI/IL (as applicable)
 - b. In case of existing unit undergoing expansion:
PMT regn./Entrepreneurs Memorandum Part II/IEM/LOI/IL (as applicable)
3. **Land & Building**
 - a. **In case of own land**
 - i. Purchase deed / gift deed/any other document to establish the ownership
 - ii. Upto date non-incumbent certificate
 - iii. Jamabandi copy and trace map
 - b. **In case of Industrial land allotted by any Government Agency**
 - i. Deed of agreement
 - ii. Up to date rent payment receipt
 - c. **In case of Industrial shed allotted by any Government Agency**
 - i. Deed of agreement
 - ii. Up to date rent payment receipt
 - d. **In case of leasehold land from a private owner**
Lease deed agreement
 - e. **In case of Government land/plot allotted by Government**
 - i. Allotment letter
 - ii. Premium payment receipt
4. Statement of Plant and Machinery as per **Form :1C(A)**
5. Certified copies of all bills, vouchers & money receipt of plant and machinery
6. Certificate of fixed capital investment from a Chartered Accountant as per **Form:1C(B)(i)/Form: 1C(B)(ii)**

7. Certificate from Financial Institution/Bank, regarding disbursement ,vide **Form:1C(D)**
 8. Sanction letter from the financial Institution / Banks for term loan & working capital
 9. Certificate from a Chartered Accountant regarding Sources of Finance as per **Form:1C(F)**
 10. Certificate from Registered Architect on Civil Construction, **Form:1C(G)(i)/Form:1C(G)(ii)**
 11. Project Report
 12. Power sanction letter and first bill from State Electricity Board/ Competent Authority/Competent Department.
 13. No objection certificate from local body/authority
 14. NOC/Consent for operation from Pollution Control Board
 15. First bill(s)/money receipt of purchase of raw material
 16. Challan against first sale of finished product(s)/service rendered.
 17. Affidavit as per **Form:1C(C)**
 18. List of employees with name, address and designation
 19. Balance sheets for last three accounting years (in case of existing units undergoing expansion).
 20. Tea Board registration in case of a Tea Factory
 21. Registration certificate under Central Package of Industrial Incentives for Himachal Pradesh and Uttarakhand, 2013, issued by DIC
 22. PAN Card of the Directors/Proprietors/Partners
 23. Sales tax/VAT, Central excise clearance certificate
 24. Certificate of the unit having become functional/operational indicating date of commencement of function/operation from the concerned department as applicable (in case of service sector units)
 25. Report of HPSIDC/SIDCUL on the scrutiny of the details of the cost of project (in case of self-financed units).
 26. Any other document that may be required as per direction of State Government /Directorate of Industries /HPSIDC/SIDCUL
-

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता (सीसीआईएस) योजना, 2013 के तहत औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तथा राज सहायता दावों के निपटान की प्रक्रिया:

1.	इस योजना के तहत राज सहायता के लिए दावा करने की इच्छुक औद्योगिक इकाई को नई इकाइयों के मामले में इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से पहले अथवा मौजूदा इकाई के मामले में पर्याप्त विस्तार करने की तारीख के पहले सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) में पंजीकरण (ईएम/आईईएम भाग-1/योजना के तहत पंजीकरण-फार्म 1ए व 1बी) कराना चाहिए।	
2.	'पर्याप्त विस्तार' से अभिप्राय क्षमता विस्तार के उद्देश्य से किसी औद्योगिक इकाई के संयंत्र तथा मशीनरी में नियत पूंजी निवेश के मूल्य में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना है।	
3.	यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी किसी भी औद्योगिक इकाई को औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के विशेष पैकेज के अन्तर्गत लाभ के लिए पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जो सम्बन्धित योजनाओं की अधिसूचना में दी गई उद्योगों की निषेध सूची में शामिल हो।	
4.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की प्रोत्साहन योजना के विशेष पैकेज के अन्तर्गत राज सहायता के लिए किए गए दावों को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारित आवेदन फार्मों (जांच सूची फार्म 1सी(i) के अनुसार दस्तावेज सहित फार्म-1सी) में सम्बन्धित डीआईसी को प्रस्तुत किया जाना है।	
5.	इसमें बैंक/वित्तीय संस्था (बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के मामले में) की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल (स्व-वित्त पोषित इकाइयों के मामले में) की मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल होगी।	
6.	दावा आवेदन के साथ क्रमशः फार्म 1सी(ए)(i) या 1सी(ए)(ii) में एक 'विचलन विवरण' भी प्रस्तुत किया जाएगा।	
7.	ईएम या आईईएम भाग-2, जैसा लागू हो, दायर करने की तारीख से वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख को तय किया जाएगा।	
8.	डीआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज सहायता के लिए दावा आवेदन फार्म सभी प्रकार से पूरे हों तथा इनके साथ फार्म 1सी(i) के रूप में संलग्न जांच सूची के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज लगे हुए हों। अपेक्षित दस्तावेज के बिना अधूरे आवेदन पत्रों पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।	
9.	यदि दावा न्यायाधीन है तो इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।	
10.	संयंत्र तथा मशीनरी/परियोजना की लागत के सम्बन्ध में सभी लेन-देन, जैसा भी मामला हो, "आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक" अथवा "डिमांड ड्राफ्ट" के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। नकदी में किए गए भुगतान को राज सहायता की गणना के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाएगा।	
11.	डीआईसी को निरपवाद रूप से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र देना चाहिए कि प्रत्येक पात्र इकाई की राज सहायता की राशि की सिफारिश करते समय कोई नकद भुगतान शामिल	

	नहीं किया गया है।		
12.	समस्त व्यय को पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।		
13.	इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता की पात्रता तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए भूमि की लागत को गणना में नहीं लिया जायेगा।		
14.	आयातित पुराने पूंजीगत माल पर योजनाओं के तहत राज सहायता नहीं दी जाएगी। आवेदन को यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किया गया है।		
15.	इसके साथ संलग्न सम्बन्धिता जांच सूची के अनुसार अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित दिनांक वाली मोहर लगी होनी चाहिए।		
16.	डीआईसी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक इकाई के स्थान का दौरा करना चाहिए तथा औद्योगिक इकाई के मौजूद होने एवं इसके प्रचालन तथा इकाई द्वारा किए गए पर्याप्त विस्तार की वास्तविक रूप से पुष्टि करनी चाहिए तथा एक निर्धारित फार्म-1सी(ई) में रिपोर्ट तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत विचलन रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।		
17.	निदेशक उद्योग एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे, जो यह प्रमाणित करेगा कि डीआईसी द्वारा अग्रेषित दस्तावेज पूरे हैं।		
18.	उद्योग निदेशालय (डीआई) को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दावों के प्राप्त होने की तारीख से 150 (एक सौ पचास) दिनों के भीतर सभी दावों को राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्ब होने पर डीआई के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इसके कारण लिखित में दिये जाने चाहिए।		
19.	बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, बैंक परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को प्रमाणित करेंगे। स्व-वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, सेवा और विनिर्माण दावों क्षेत्रों के मामले में इकाई द्वारा पंजीकरण के बाद एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा। एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल/सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी राज सहायता के लिए पात्र संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को भी प्रमाणित करेंगे।		
20.	इन योजनाओं के तहत दावों से सम्बन्धित मामलों का ढेर लगने से बचने के लिए एसएलसी की बैठक का आयोजन तीन महीने में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।		
21.	महिला उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही इकाईयों के दावों के सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची रखी जानी चाहिए। ऐसी इकाई के दावे पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उद्योग निदेशालय को मासिक आधार पर उनकी प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।		
22.	एसएलसी की बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पहले इसकी बैठक की सूचना विस्तृत कार्यसूची टिप्पण के साथ, सभी सम्बन्धित प्रतिभागियों (भारत सरकार के नामितों सहित) को भेज दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं करने की स्थिति में बैठक स्थगित कर दी जाएगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।		
23.	राज सहायता की राशि 30 लाख रूपए से अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार के एक दल के द्वारा इकाई का क्षेत्र दौरा कराना चाहिए जिसमें (क) सम्बन्धित राज्य सरकार, (ख) इकाई को सहायता प्रदान कर रही वित्तीय संस्था, और (ग) एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल, प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। परियोजना लागत के निर्णय का आधार बैंक द्वारा अनुमोदित विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट होगी।		

24.	<p>क्षेत्र दौरा दल के मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्य होंगे:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● उस संयंत्र तथा मशीनरी की भौतिक रूप से उपलब्धता की पुष्टि करना जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक इकाई ने दावा पेश किया है। ● यह सुनिश्चित करना कि क्या इन संयंत्रों तथा मशीनरी के संघटक/मदें, जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक इकाई द्वारा राज सहायता का दावा किया गया है, योजना के प्रावधानों तथा बाद में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अनुरूप हैं। ● संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की मात्रा का निर्धारण करते समय अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों के साथ उस वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट पर निरपवाद रूप से विचार करना जिसने औद्योगिक इकाई को परियोजना के लिए सहायता दी हो। ● इकाई द्वारा प्रस्तुत 'विचलन रिपोर्ट' पर टिप्पणी करना। ● क्षेत्र दौरा करने की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर क्षेत्र दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 	
25.	<p>क्षेत्र दौरा एसएलसी बैठक से पहले किया जाएगा। क्षेत्र दौरा दल की रिपोर्ट एसएलसी बैठक की कार्यसूची का एक भाग होगी।</p>	
26.	<p>इस योजना के अन्तर्गत किसी दावे की सिफारिश/अनुमोदन करते समय एसएलसी निम्नलिखित पर विचार करेगी:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● डीआईसी की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट। ● क्षेत्र दौरा दल की मूल्यांकन रिपोर्ट (30 लाख रुपए से अधिक से दावों के लिए अनिवार्य है)। ● औद्योगिक इकाई के मौजूद होने के सबूत से सम्बन्धित दस्तावेज। ● इकाई के उत्पादन आंकड़े। ● औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर)। ● क्या इन संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति/अर्जन हेतु भुगतान आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए किया गया है। ● उस वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता दी है। ● इकाई के दावा आवेदन सहित उनके द्वारा प्रस्तुत 'विचलन रिपोर्ट'। ● संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटकों के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए स्पष्टीकरण। ● उपर्युक्त के अलावा, एसएलसी ऐसे अन्य दस्तावेजों/रिपोर्टों की भी अपेक्षा कर सकती है, जो उनके विचार से औद्योगिक इकाईयों द्वारा किए गए दावों की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हों। 	
27.	<p>किसी विशेष दावे के सम्बन्ध में सिफारिश/अनुमोदन/अस्वीकृति हेतु विस्तृत विचार-विमर्श तथा औचित्य या सम्बन्धित एसएलसी बैठक के कार्यवृत्त में विधिवत् रिकार्ड रिखा जाएगा। औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता करने वाली वित्तीय संस्था (संस्थाओं)/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल की मूल्यांकन रिपोर्ट में विचार की गई</p>	

	संयंत्र एवं मशीनरी की मदों की सूची तथा तकनीकी दल की मूल्यांकन रिपोर्ट में किसी विचलन का एसएलसी द्वारा समुचित स्पष्टीकरण/औचित्य दिया जाएगा।	
28.	एसएलसी को अपनी सिफारिश में यह प्रमाणित करना चाहिए कि दावा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार/अनुरूप है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटक शामिल हैं।	
29.	कम से कम 10 प्रतिशत दावों पर उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल द्वारा लेखा परीक्षा करने के बाद विचार किया जाएगा।	
30.	इकाई से अपेक्षा की जाएगी कि वह वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में पांच वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) उद्योग निदेशालय को भेजे।	
31.	किसी औद्योगिक इकाई को देय राज सहायता की मात्रा की गणना योजनाओं में यथा निर्धारित पात्र संघटकों तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा बाद में समय-समय पर जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी शंका होने पर मामला स्पष्टीकरण हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भेजा जा सकता है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	
32.	भारत सरकार द्वारा विभिन्न पात्र इकाइयों को स्वीकृत राज सहायताओं के संवितरण के लिए एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल द्वारा पात्र इकाई के विनिर्दिष्ट खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए प्रत्येक जमा के लिए बैंकों को भुगतान सूचना जारी करके ई-भुगतान/आरटीजीएस/एनईएफटी का उपयोग किया जाए।	
33.	डीआईसी/एसएलसी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत/आपत्ति वाले दावों की सूची अस्वीकृति के कारणों/आपत्ति/टिप्पणी आदि सहित वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए।	
34.	राज्य सरकार स्थापित इकाइयों, किए गए निवेश और सृजित रोजगार के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	
35.	राज्य सरकार उद्यमियों की जागरूकता और योजना के संवर्धन के लिए आईसीसी क्रियाकलाप चलाएगी।	
36.	राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए छमाही समीक्षा भी करेगी।	
37.	इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापन/अधिसूचनाओं के अधीन प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।	

हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 2013 के तहत पूंजी निवेश राज सहायता दावों के लिए आवेदन फार्म सहित प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्यापित प्रतियां

1. इकाई का गठन

(क) प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में

- i कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ii संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- iii निदेशकों के नाम एवं पता उनकी पैन सं. सहित।

(ख) साझेदारी वाली इकाई के मामले में

- i साझेदारी विलेख।
- ii सामान्य मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी)।
- iii साझेदारों का नाम एवं पता उनकी पैन सं. सहित।

(ग) सहकारी समिति के मामले में

- i सहकारी समिति के संयुक्त पंजीयक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ii संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- iii इकाई के पंजीकरण के लिए आम सभा का संकल्प।

2. पंजीकरण

क. प्रस्तावित/नई इकाई के मामले में।

उद्यमी ज्ञापन भाग-1 एवं भाग-2/आईईएम/एलओआई/आईएल (जहां लागू हो)।

ख. विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई के मामले में।

पीएमटी पंजीकरण/उद्यमी ज्ञापन भाग-2/आईईएम/एलओआई/आईएल (जहां लागू हो)।

3. भूमि एवं भवन

क. स्वयं की भूमि के मामले में

- i खरीद विलेख/उपहार विलेख/स्वामित्व साबित करने वाला अन्य कोई दस्तावेजे।
- ii अद्यतन नॉन-इन्कम्बेंट सर्टिफिकेट।
- iii जमाबन्दी प्रति एवं ट्रेस मैप।

ख. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक भूमि के मामले में

- i करार विलेख।
- ii अद्यतन किराया भुगतान रसीद।

ग. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक शेड के मामले में

- i करार विलेख।
- ii अद्यतन किराया भुगतान रसीद।

घ. किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आवंटित औद्योगिक शेड के मामले में पट्टा विलेख करार।

ङ. सरकारी भूमि/सरकार द्वारा आवंटित प्लॉट के मामले में

- i आवंटन पत्र।

ii प्रीमियम भुगतान रसीद।

4. फार्म: 1सी(ए) के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण।
5. सभी बिलों, वाउचरों एवं संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण।
6. फार्म: 1सी बी (i)/फार्म: 1सी बी (ii) के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अचल पूंजी निवेश का प्रमाण-पत्र।
7. फार्म: 1सी (डी) द्वारा संवितरण से सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक से प्रमाण-पत्र।
8. मियादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से मंजूरी पत्र।
9. फार्म: 1सी (एफ) के अनुसार वित्त स्रोत के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण-पत्र।
10. फार्म: 1सी (जी) (i)/फार्म: 1सी (जी) (ii) सिविल निर्माण सम्बन्धी पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाण-पत्र।
11. परियोजना रिपोर्ट।
12. राज्य विद्युत बोर्ड/सक्षम प्राधिकरण/सक्षम विभाग से विद्युत मंजूरी पत्र एवं प्रथम बिल।
13. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
14. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति।
15. कच्चे माल की खरीद का प्रथम बिल (बिलों)/धन प्राप्ति रसीद।
16. तैयार उत्पाद (उत्पादों) की प्रथम बिक्री/दी गई सेवा के लिए चालान।
17. फार्म: 1सी (सी) के अनुसार शपथ-पत्र।
18. कर्मचारियों की सूची, नाम, पता एवं पदनाम के साथ।
19. पिछले तीन लेखा वर्षों (विस्तार करने वाली मौजूदा इकाईयों के मामले में) के लिए तुलन-पत्र।
20. चाय फैक्ट्री के मामले में चाय बोर्ड पंजीकरण।
21. हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए केन्द्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2013 के तहत डीआईसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
22. निदेशकों/मालिकों/साझीदार का पैन कार्ड।
23. बिक्री कर/वैट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंजूरी प्रमाण-पत्र।
24. सम्बन्धित विभाग (सेवा क्षेत्र की इकाईयों के मामले में) से यथा लागू कार्य/प्रचालन की शुरुआत की तारीख को दर्शाते हुए इकाई के कार्यात्मक/प्रचालात्मक होने का प्रमाण-पत्र।
25. परियोजना की लागत (स्व: वित्त पोषित इकाईयों के मामले में) के ब्यौरे की जांच सम्बन्धी एचपीएसआईडीसी/उएसआईडीसीयूएल की रिपोर्ट।
26. कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल के निदेश के अनुसार अपेक्षित हो।